

# कार्यक्रम उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धान्त

## 1. प्रस्तावना

- 1.1 ग्रामीण सड़क संपर्क आर्थिक और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच का संवर्धन करते हुए और फलस्वरूप भारत में कृषि आय और उत्पादक रोजगार अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन करते हुए ग्रामीण विकास का न केवल एक मुख्य घटक है वरन् स्थायी रूप से गरीबी निवारण कार्यक्रम का भी एक मुख्य भाग है। पिछले वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये राज्य और केन्द्र स्तरों पर किये गये प्रयासों के बावजूद देश में अभी भी लगभग 40 प्रतिशत बसावटें बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़ी हुई है। यह सर्वविदित है कि जहाँ पर सड़क संपर्क मुहैया भी कराया गया है वहाँ निर्मित सड़कों की हालत (खराब निर्माण अथवा रख रखाव की वजह से) ऐसी नहीं है कि उन्हें हमेशा बारहमासी सड़कों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सके।
- 1.2 इस स्थिति को सुधारने के मद्देनजर सरकार ने संपर्क विहीन बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़क मुहैया कराने के लिये 25 दिसम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) केन्द्र द्वारा शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस कार्यक्रम के लिये हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) पर 50 प्रतिशत उपकर निर्धारित है।

## 2 कार्यक्रम के उद्देश्य

- 2.1 पीएमजीएसवाई का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़कों (आवश्यक पुलियों और कास-ड्रेनेज ढाँचों, जो साल भर काम करने के लायक हों, के साथ) के जरिए सड़क संपर्क इस तरह से मुहैया कराना है कि 1000 और इससे अधिक की आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी सभी बसावटें दसवीं योजना अवधि (2007) के अन्त तक कवर हो जाए। पर्वतीय क्षेत्रों (पूर्वोत्तर, सिकिम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तरांचल) तथा मरुभूमि क्षेत्रों (जैसा कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम में निर्धारित किया गया है) के साथ साथ जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों में इस योजना का उद्देश्य 250 और इससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ना होगा।
- 2.2 पीएमजीएसवाई में उन जिलों में मौजूदा सड़कों को सुधारने (निर्धारित मानदंडों के अनुसार) की अनुमति दी जाएगी जहाँ निर्दिष्ट जनसंख्या (उपर्युक्त पैरा 2.1 का संदर्भ लें) वाली सभी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान किया गया है। तथापि, यह नोट किया जाए कि सुधार- कार्य, कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु नहीं है और ऐसी स्थिति में जहाँ अभी भी सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटें मौजूद हैं। यह उन राज्यों के राज्य आवंटन के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो

सकता। सुधार कार्य में कोर नेटवर्क के थू रूट्स जिसमें यातायात अधिक होता है। (नीचे पैरा 3.7 देखें) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

### 3 पीएमजीएसवाई के मार्गदर्शक सिद्धान्त और परिभाषाएं

- 3.1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की भावना और उद्देश्य सड़क से न जुड़ी बसावटों को बेहतर बारहमासी सड़कों प्रदान करना है। ऐसी बसावट जिसे पहले अच्छी बारहमासी सड़क संपर्क मुहैया कराया गया था, सड़क की वर्तमान स्थिति खराब होने पर भी इसकी पात्र नहीं होगी।
- 3.2 इस कार्यक्रम के लिये इकाई राजस्व गाँव अथवा पंचायत न होकर एक बसावट है। क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के समूह, जो लम्बे समय तक स्थान नहीं बदलते हैं, को बसावट कहते हैं। देशम, धानी, टोला, मजरा, हेम्लेट आदि बसावटों की व्याख्या के लिये सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले शब्द हैं।
- 3.3 सड़कों से न जुड़ी बसावट वह बसावट है जिसमें निर्दिष्ट आकार (उपर्युक्त पैरा 2.1 का संदर्भ लें) की जनसंख्या है और जो बारहमासी सड़क अथवा सड़क से जुड़ी बसावट से कम से कम 500 मीटर या इससे अधिक (पहाड़ों के मामले में 1.5 कि.मी. पैदल दूरी) की दूरी पर स्थित है।
- 3.4 उपर्युक्त पैरा 2.1 बसावटों की जनसंख्या के आकार से संबंधित है। जनगणना 2001 में दर्ज की गई जनसंख्या बसावट की जनसंख्या आकार को निर्धारित करने का आधार होनी चाहिए। जनसंख्या आकार को निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ 500 मीटर की दूरी के भीतर (पहाड़ियों के मामले में पैदल दूरी 1.5 कि.मी.) सभी बसावटों की जनसंख्या को एक साथ शामिल किया जा सकता है। यह समूहगत नीति अनेक बसावटों खासकर पहाड़ी/पर्वतीय क्षेत्रों के लिये सड़क संपर्क के प्रावधान को सक्षम बनाएगी।
- 3.5 सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क अथवा अन्य मौजूदा बारहमासी सड़क से पहले से ही जुड़ी समीपवर्ती बसावटों से जोड़ा जाना होता है जिससे सड़कों से न जुड़ी बसावट में प्राप्त न होने वाली सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य विपणन सुविधाएं आदि) निवासियों को मिल सके।
- 3.6 कोर नेटवर्क सड़कों (रूट्स) का ऐसा अल्प नेटवर्क है जो कम से कम एक बारहमासी सड़क संपर्कता के जरिए चुनिंदा क्षेत्रों में सभी पात्र बसावटों को अनिवार्य सामाजिक-आर्थिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये जरूरी है।

- 3.7 कोर नेटवर्क में थू रूट्स और लिंक रूट्स शामिल हैं। थू रूट वे हैं जिनसे कई संपर्क सड़कों या कई गांवों में यातायात आकर चलता है और यह उच्च श्रेणी की सड़कों अर्थात् जिला सड़कों या राज्य अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए सीधे विपणन केन्द्रों से जुड़े होते हैं। लिंक रूट वे सड़कें हैं जो कि एक बसावट या बसावटों के एक समूह को थू रूटों या जिला सड़कों से जोड़ती है और यह विपणन केन्द्रों तक जाती है। लिंक रूट सामान्यतः किसी बसावट की सीमा खत्म होने समाप्त हो जाते हैं हालौंकि थू रूट दो या अधिक लिंक रूटों को मिलाकर तथा मुख्य सड़क या विपणन केन्द्र से उत्पन्न होते हैं।
- 3.8 यह सुनिश्चित किया जाय कि पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत शुरू किया गया प्रत्येक सड़क कार्य कोर नेटवर्क का भाग है। सड़क संपर्क के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन सड़कों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो संयोगवश अन्य बसावटों के काम आती है। दूसरे शब्दों में मूल उद्देश्य (1000 से अधिक की आबादी वाली बसावटों को पहले और 500 से अधिक की आबादी वाली अगली बार तथा 250 से अधिक की आबादी वाली पात्र बसावटों को शामिल करना) से समझौता किये बिना उन सड़कों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अधिक आबादी के काम आती है। इस प्रयोजनार्थ, हालौंकि मैदानी क्षेत्रों में सड़क से 500 मीटर की दूरी वाली बसावटों को सड़क से जुड़ा हुआ माना गया है, पर्वतीय क्षेत्रों में यह दूरी 1.5 कि.मी. (पथ की लम्बाई) होनी चाहिए।
- 3.9 पीएमजीएसवाई केवल ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करेगा। शहरी सड़कें इस कार्यक्रम के क्षेत्र से बाहर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पीएमजीएसवाई केवल उन्हें ग्रामीण सड़कों को कवर करती है जो पहले से ही “अन्य जिला सड़कों” तथा “ग्राम सड़कों” के रूप में वर्गीकृत थीं। अन्य जिला सड़कें ऐसी सड़कें हैं जो उत्पादन वाले ग्रामीण क्षेत्रों के काम में आती है और बाजार केन्द्रों तालुका (तहसील) मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों या अन्य मुख्य सड़कों तक जाने का मार्ग देती है। ग्राम सड़कें ऐसी सड़कें हैं, जो गाँवों / बसावटों या अन्य मुख्य सड़कों तक जाने का मार्ग देती है। ग्राम सड़कें ऐसी सड़कें हैं, जो गाँवों / बसावटों या बसावट के समूहों को एक दूसरे से तथा उच्च श्रेणी की समीपवर्ती सड़क से जोड़ती है पीएमजीएसवाईके अन्तर्गत मुख्य जिला सड़कों राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग को शामिल नहीं किया जा सकता है चाहे वे ग्रामीण क्षेत्रों में ही आती हो। यह नई सड़क संपर्क या उन्नयन कार्यों पर लागू है।
- 3.10 पीएमजीएसवाई में केवल एक सड़क संपर्कता की ही व्यवस्था है। यदि कोई बसावट पहले ही बारहमासी सड़कों के जरिए जुड़ी हुई है तो उस बसावट में पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत कोई नया कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है।

- 3.11 सड़कों से जुड़ी बसावटों के लिये सड़क संपर्क का प्रावधान नए सड़क संपर्क के रूप में माना जाएगा। चूंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ खेत से बाजार तक सड़क संपर्क मुहैया कराना है इसलिये जहाँ बसावटों तक सड़क संपर्क की कमी है वहाँ नए संपर्क में “नव निर्माण” की आवश्यकता पड़ सकती है तथा इसके अलावा, यदि आवश्यकता हो तो जहाँ मध्यस्तरीय सड़क संपर्क अपने वर्तमान स्थिति में अच्छी बारहमासी सड़क (नीचे पैरा 3.12 देखें) के रूप में कार्य नहीं कर सकती वहाँ मरम्मत की आवश्यकता पड़ सकती है।
- 3.12 उन्नयन की अनुमति, मिलने पर (उपर्युक्त पैरा 2.2 देखें और 3.11 देखें) वॉछित तकनीकी विनिर्देशनों के स्तर तक मौजूदा सड़क और उपरी सतह बनाना और / अथवा यातायात की स्थिति (नीचे पैरा 3.14 भी देखें) के अनुसार आरक्षित स्तर तक सड़क की ज्यामिति को सुधारना अनिवार्य रूप से शामिल होगा।
- 3.13 प्रधानमंत्री सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य संपर्क विहीन पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क मुहैया करना है। बारहमासी सड़क वह है जो वर्ष के सभी मौसमों में प्रयोग के लायक होती है। इसका तात्पर्य यह है कि सड़क पर जल निकासी की प्रभावशाली (पर्याप्त आरपार नालियों जैसे पुलियों छोटे पुलों एवं रपटों द्वारा) व्यवस्था हो परंतु इसमें यह आवश्यक नहीं है कि इस पर खंडजा लगाया जाय या सतहयुक्त बनाया जाय या कच्ची सतह बनाकर पक्का किया जाए। उचित संख्या एवं अवधि में यातायात की रुकावट को मंजूरी दी जा सकती है।
- 3.14 ऐसी सड़कें भी हो सकती हैं जो सामान्य मौसम की सड़कें हो। दूसरे शब्दों में आरपार नालियों के कार्यों के अभाव में वे मात्र सूखे मौसम में उपयोगी होती हैं। ऐसी सड़कों का आरपार नालियों के कार्यों के माध्यम से बारहमासी सड़कों में बदलाव सुधार माना जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समस्त सड़क कार्यों में अपेक्षित आरपार नालियों के कार्यों का प्रावधान एक अत्यावश्यक तत्व समझा गया है।
- 3.15 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काली सतह या सीमेंट से बनी सड़कों की मरम्मत करने की अनुमति नहीं दी गई है। भले ही सतह की स्थिति खराब हो गयी हो।
- 3.16 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनाई गई ग्रामीण सड़कें भारतीय सड़क कांग्रेस विशिष्टियों के प्रावधान के अनुसार होगी जैसा कि ग्रामीण सड़क नियमावली (आई आर सी : एस पी 20 : 2002) में दिया गया है। पहाड़ी सड़कों के मामले में उन तथ्यों के लिये जिन्हें ग्रामीण सड़क नियमावली में शामिल नहीं किया गया है पहाड़ी सड़क नियमावली (आई आर सी : एसपी : 48) के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।



## ग्रामीण सड़कों की आयोजना, वित्त पोषण, निर्माण और रखरखाव

### 4. ग्रामीण सड़कों हेतु आयोजना

- 4.1 सुव्यवस्थित और किफायती तरीके से कार्यक्रम के उद्देश्यों को हासिल करने के लिये उपयुक्त आयोजना अत्यावश्यक है। जिला ग्रामीण सड़क योजना और कोर नेटवर्क की तैयारी हेतु नियमावली को दिशा-निर्देशों का एक हिस्सा माना जाएगा और वर्तमान दिशा निर्देशों द्वारा संशोधित सीमा तक संशोधित होंगे। नियमावली में मध्यस्तरीय पंचायत, जिला पंचायत के साथ साथ राज्य स्तरीय स्थायी समिति सहित विभिन्न एजेंसियों की भूमिका एवं आयोजना प्रक्रिया के लिये कई चरण बताए गए हैं। कोर नेटवर्क के निर्धारण में संसद सदस्यों एवं विधायकों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं पर पूर्ण विचार किया जाएगा और इन्हें पूरा महत्व दिया जाएगा। ग्रामीण सड़क आयोजना और कोर नेटवर्क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत योजना जिले में विद्यमान संबंधी सभी कार्यों के लिये आधार होंगे।
- 4.2 जिला ग्रामीण सड़क योजना जिले में विद्यमान समग्र सड़क नेटवर्क प्रणाली को दर्शाएगी और लागत एवं उपयोगिता के मामले में किफायती एवं सक्षम तरीके से संपर्क विहीन बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान करने हेतु प्रस्तावित सड़क का स्पष्ट निर्धारण भी करेगा। कोर नेटवर्क उस सड़क का निर्धारण करेगा जिसकी प्रत्येक पात्र बसावट की मूल सामाजिक और आर्थिक सेवाओं तक आधारभूत पहुंच (एक पथीय बारहमासी सड़क संपर्क) सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तदनुरूप कोर नेटवर्क में कुछेक विद्यमान सड़कों के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नए निर्माण के लिये प्रस्तावित समस्त सड़कें शामिल होंगी।
- 4.3 जिला ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत नए सड़क संपर्क का प्रस्ताव करते समय, प्रथमतः विभिन्न सेवाओं के लिये वेटेज दर्शाना आवश्यक होगा। जिला हेतु उपयुक्त सामाजिक-आर्थिक/अवरंचनात्मक विभिन्नताओं का सेट चुनने उन्हें श्रेणीबद्ध करने तथा उनमें समानुपातिक वेटेज कायम करने के लिये जिला पंचायत सक्षम प्राधिकारी होगी। इसे जिला ग्रामीण सड़क योजना की तैयार शुरू करने से पहले समस्त संबंधित पक्षों के पास भेजा जाएगा।
- 4.4 यह योजना सर्वप्रथम ब्लॉक स्तर पर तैयार की जाएगी जो नियमावली में निहित निर्देशों एवं जिला पंचायत द्वारा बतायी गयी प्राथमिकताओं के अनुरूप होगी। संक्षेप में, विद्यमान सड़क नेटवर्क तैयार किया जाएगा, संपर्क विहीन बसावटों का निर्धारण किया जाएगा और इन संपर्क विहीन बसावटों को जोड़ने के लिये अपेक्षित सड़के बनाई जाएंगी। इससे ब्लॉक स्तरीय मास्टर प्लॉन बन जाएगा।

- 4.5 एक बार यह कार्य पूरा जो जाता है, तो विद्यमान और प्रस्तावित सड़क सुविधाओं का बेहतर उपयोग कर ब्लॉक के लिये कोर नेटवर्क इस तरह से बन जाएगा कि समस्त पात्र बसावटों को आधारभूत पहुँच सुनिश्चित हो जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक बसावट सड़क संपर्क वाली एक बसावट या बारहमासी सड़क (मौजूदा अथवा जिसकी योजना बनाई जा रही हो) से 500 मीटर (पहाड़ों में 1.5 कि.मी. की पैदल दूरी) के अंदर हो। प्रस्तावित सड़क संपर्कों का नक्शा बनाते समय लोगों की अपेक्षाओं को सामाजिक आर्थिक / अवसंरचनात्मक मूल्यों (सड़क इन्डेक्स) को उपयुक्त वेटेज (कृपया पैरा 4.3 देखें) देकर और अधिकतम सड़क तालिका को चयन के लिये समेकित करते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- 4.6 ब्लॉक स्तरीय मास्टर प्लान और कोर नेटवर्क को इसके पश्चात कोर नेटवर्क के विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिये मध्य स्तरीय पंचायत के समक्ष पेश किया जाता है। इसके बाद ही इसे समस्त संपर्क विहीन बसावटों की सूची के साथ संसद सदस्यों एवं विधायकों के पास उनकी टिप्पणियों के लिए यदि कोई हो भेज दिया जाता है। मध्य स्तरीय पंचायत द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद योजनाओं को जिला पंचायत के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिये भेजा जाएगा। यह जिला पंचायत का दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि संसद सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर पूर्ण विचार किया जा रहा है जो इन दिशा निर्देशों के फ्रेमवर्क के अन्दर हो। जिला पंचायत द्वारा एक बार स्वीकृति मिलने के बाद कोर नेटवर्क की एक प्रति राज्य स्तरीय एजेंसी के साथ साथ राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कोई सड़क नए संपर्क या सुधार (जहाँ अनुमति दी गई हो) के लिये तब तक प्रस्तावित नहीं की जा सकती जब तक कि यह कोर नेटवर्क का हिस्सा नहीं बन जाती है।

## 5. वित्त पोषण एवं आवंटन

- 5.1 एक बार जब कोर नेटवर्क तैयार हो जाता है और पेवमेंट स्थिति का सर्वेक्षण हो जाता है (कृपया पैरा 6.2 देखें) तो प्रत्येक जिले के लिये सुधार के साथ साथ नए संपर्क के लिये सड़कों की लम्बाई का अनुमान लगाना संभव है। राज्य, प्रत्येक वर्ष, जिलों के बीच राज्य का आबंटन वितरित कर सकता है जो संपर्कविहीन बसावटों को संपर्क प्रदान करने हेतु सड़क की लम्बाई के आधार पर कम से कम 80 प्रतिशत और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सुधार की जाने वाली सड़क की लम्बाई के आधार पर 20 प्रतिशत तक हो सकता है। निधियों के जिलावार आबंटन की जानकारी भी राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी और राज्य तकनीकी एजेंसी को दी जाएगी।

- 5.2 जिलावार आवंटन करते समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पहले ही शामिल कर ली गई सड़क लंबाई को घटा दिया जाएगा (भले ही वह सड़क कार्य अभी निष्पादन के अधीन हो) अतः नव निर्मित सड़कों की लंबाई के आंकड़े किसी जिले में प्रत्येक वर्ष तक तक बदलते रहेंगे जब तक कि जिले में समस्त संपर्कविहिन बसावटों (पात्र आबादी के अनुसार) को शामिल नहीं कर लिया जाता है ।
- 5.3 राज्यों को आबंटन के अलावा डीजल उपकर के ग्रामीण सड़क अंश में से वार्षिक आबंटन के 5 प्रतिशत तक का विशेष आबंटन निम्न के लिये किया जाएगा :
- पाकिस्तान और चीन की सीमा से जुड़े राज्यों के जिले (गृह मंत्रालय के समन्वय से)
  - म्यानमार, बंगलादेश और नेपाल की सीमा से जुड़े राज्यों के लिये गृह मंत्रालय के समन्वय से)
  - गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित जिलों में वामपंथी उग्रवादी वाले क्षेत्र
  - अत्यंत पिछड़े जिले (जैसा कि योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है) जिन्हें विशेष समस्या वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है ।
  - अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं और अभिनव प्रयोग

## 6. प्रस्ताव

- 6.1 ऐसे सभी जिले जहाँ पात्र संपर्कविहिन बसावटें हैं को अपने—अपने जिले के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सभी सड़क संपर्कों की प्रखण्ड और जिला स्तरीय व्यापक नए सड़क संपर्क प्राथमिकता सूची बनानी होगी और उन्हें निम्नलिखित सामान्य प्राथमिकता क्रम में समूहबद्ध करना होगा :

प्राथमिकता क्रम	सड़क से जोड़ी जा रही बसावटों की जनसंख्या
I	1000 से अधिक
II	500— 999
III	250— 499 (पैरा 2.1 के अनुसार जो पात्र हो)

निम्नलिखित प्रपत्र में नए सड़क संपर्क प्राथमिकता सूची चयन की जाएगी

क्रम सं	सड़क का नाम	टीआर/ एलआर	सीएन में कोड	लंबाई	लाभांवित होने वाली जनसंख्या	जोड़ी जाने वाली बसावटे	वर्तमान स्थिति (कच्चे रास्ते आदि)	संबद्ध टी आर के नाम व संख्या

(सी एन – कोर नेटवर्क / टी आर – थू रूट्स / एल आर –लिंक रूट)

6.2 मरम्मत और रखरखाव आयोजना के लिये ग्रामीण सड़क नेटवर्क का प्रबंधन करने के लिये सभी राज्य प्रत्येक दो वर्ष में सभी थ्रू रुट्स (यदि थ्रू रुट्स मुख्य ग्रामीण संपर्कों की अगली निम्न श्रेणी की ग्रामीण सड़कों के हिस्से न हो) के पेवमेंट की स्थिति का परीक्षण करेंगे किया विधि और विश्लेषण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये जाएंगे । इस सर्वेक्षण से 1 से 5 के पैमाने पर पेवमेंट स्थिति सूची तैयार होगी । सर्वेक्षण के परिणाम निम्नलिखित प्रपत्र में पीसीआई पंजी में दर्ज किए जाएंगे :

जिला -----

विकास खण्ड -----

सड़क का नाम	सी एन में कोड नंबर	लंबाई	जुड़ी हुई बसावा टों के नाम	लाभांवित होने वाली जनसंख्या	निर्माण वर्ष	अंतिम पीआर से आवधिक लेकर अब नवीनीकरण तक नियमित (पी आर) रखरखाव का वर्ष पर खर्च की गई राशि	पेवमेंट का प्रकार	लंबाई कि.मी	एडीटी *	पीसी आई	पीसीआई की तारीख

\* यदि पहले किया जा चुका है (अलग से किया जा सकता है)

सभी मरम्मत और रखरखाव की प्राथमिकता इसी सूची से तय की जाएगी ।

6.3 उन जिलों के मामले में जहाँ नया सड़क संपर्क बनाने की आवश्यकता नहीं है कोर नेटवर्क के ग्रामीण थ्रू रुट्स के पीसीआई (उपर पैरा 6.2 देखें) के आधार पर एक व्यापक मरम्मत प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी जो निम्नानुसार होगी :

- प्राथमिकता -I में वे थ्रू रुट्स होंगे जो डब्लू बी एम के रूप में बनाये गये हैं । ऐसे मामलों में मरम्मत में मौजूदा स्थिति को अच्छी स्थिति ( ज्यामितीय आवश्यक निकासी कार्य और सड़क चिन्ह में सुधार सहित) में लाना और डिजाइन की आवश्यकतानुसार उपयुक्त भूपटल और ऊपरी सतह बनाना शामिल होगा ।
- प्राथमिकता - II में संपर्क विहीन अथवा कास ड्रेनेज के अभाव वाली अन्य खुशक मौसमी थ्रू रुट्स अथवा ग्रेवल थ्रू रुट्स होंगे । ऐसे मामलों में मरम्मत में उपयुक्त ज्यामितीय और सभी आवश्यक प्रावधानों के साथ सड़कों को अच्छी बारहमासी सड़कों में बदलना शामिल होगा ।

- iii. प्राथमिकता – III में ऐसे अन्य थ्रू रूट्स होंगे जिनकी डिजाइन की अवधि समाप्त हो रही हो जिनकी पीसीआई 2 अथवा इससे कम अर्थात् खराब या बहुत खराब हो । ऐसे मामलों में मरम्मत में अनुमानित यातायात आवश्यकताओं के अनुसार जहाँ आवश्यक हो, ज्यामिति डिजाइन में चौड़ाई सतहीकरण आदि के साथ सुधार शामिल होगा ।
- iv. 2 से अधिक पीसीआई वाली पक्की अच्छी बारहमासी सड़कों और 10 वर्ष से कम पुरानी पक्की अच्छी बारहमासी सड़कों (यदि पीसीआई 2 से कम हो तो भी) की फिलहाल मरम्मत नहीं की जाएगी ।
- v. प्रत्येक प्राथमिकता श्रेणी के तहत पात्र सड़कों को उनसे लाभांवित होने वाली जनसंख्या (सीधे और लिंक रूट्स के माध्यम से लाभांवित जनसंख्या) अपेक्षित यातायात के मोटे अनुमान के रूप में, के कम में व्यवस्थिति किया जाएगा, तथापि राज्यों को औसत दैनिक यातायात (एडीटी) सर्वेक्षण यथाशीघ्र करने की सलाह दी गई है जिस समय यातायात सर्वेक्षण किया गया है (जैसे यातायात की बहुलता और न्यूनता वाले मौसम) उसको मौसम के अनुसार समायोजित किया जाएगा ताकि वार्षिक औसत दैनिक यातायात का अनुमान लगाया जा सके जो कि प्राथमिकता निर्धारण के साथ साथ डिजाइन के लिये भी आधार होगा । (चुनिंदा आधार पर एक्सल लोड सर्वेक्षण उन सड़कों पर कराया जा सकता है जिनमें एक्सल लोड स्पेक्ट्रम में व्यापक विविधता के साथ भारी यातायात अपेक्षित है । इस प्रयोजन के लिये एनआआरडीए द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे ।)
- vi. यदि किसी जिले में कोर नेटवर्क में परिभाषित थ्रू रोड्स् ग्रामीण सड़क की श्रेणी के नहीं है तो मुख्य ग्रामीण संपर्क ( थ्रू रूट से निकलने वाले) पर ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के आधार पर मरम्मत के लिये विचार किया जा सकता है ।

व्यापक मरम्मत प्राथमिकता सूची बनाने का कार्य सिर्फ उन जिलों में शुरू किया जाएगा जो आगामी 1 वर्ष के भीतर पात्र बसावट में नए सड़क संपर्क पूरा करने वाले हैं । प्रत्येक प्राथमिकता श्रेणी (जहाँ सड़कों के सिर्फ टूट फूटे हिस्से का मरम्मत के लिए शामिल किया जाना है कमानुसार सिर्फ उसी हिस्से का उल्लेख करें) के लिए जिलेवार व्यापक मरम्मत प्राथमिकता सूची (सीयूपीएल) निम्नलिखित प्रारूप में तैयार की जाएगी :

### प्राथमिकता सूची

विकास खंड	सीएन में सड़क कोड	थू रुट /एम आर एल का नाम	निर्माण वर्ष	अंतिम आधिक नवीनीकरण का वर्ष	वर्तमान सतह का प्रकार	पी सी आई	सड़क द्वारा लाभांवित बसावटों की कुल संख्या	ए डी टी

सीयूपीएल को आगे अनुमोदन के लिये भेजने से पहले इसको राज्य तकनीकी एजेंसियों और राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के माध्यम से नमूने के आधार पर सत्यापन कराया जाएगा। राज्य तकनीकी एजेंसियों जिले द्वारा दिये गये पीसीआई आंकड़ों के आधार पर अनुरूपता बनाए रखने के लिये सूची का शत प्रतिशत सत्यापन करेंगे और नमूनों की वास्तविक जांच भी करेंगी।

6.4 सीएनसीसीपीएल / सीयूपीएल के तैयार हो जाने और सत्यापन हो जाने के बाद इसे जिला पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएग। संसद सदस्यों / विधानसभा सदस्यों को सीएनसीपीएल / सीयूपीएल की एक प्रति दी जाएगी और जिला पंचायत अपना अनुमोदन देते समय उनके सुझावों तथा निचले स्तर की पंचायती राज संस्थाओं के सुझावों को पूरा महत्व देंगे। सीएनसीपीएल सभी नए सड़क संपर्क प्रस्तावों का आधार होगा और सीयूपीएल जिलों के उन सभी उन्नयन प्रस्तावों का आधार होगा जहाँ कोई नया सड़क संपर्क कार्य शेष नहीं है।

6.5 पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले सड़क कार्यों की सूची को जिला पंचायत द्वारा जिले को दी गई निधियों के आवंटन (पैरा 5.1 देखें) के अनुसार प्रति वर्ष अंतिम रूप दिया जाएगा। जिला पंचायत निचले स्तर की पंचायती राज संस्थाओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों (नीचे पैरा 6.9 देखें) को शामिल करते हुए परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से सूची को अंतिम रूप देगी। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित सड़क कार्य कोर नेटवर्क का हिस्सा हो और नए सड़क संपर्क को प्राथमिकता दी गई हो।

6.6.1 वे राज्य जहाँ ग्रामीण थू रुट्स काफी हालत में हैं (पीसीआई सामान्यतः 3 से अधिक है) नए संपर्कों की प्राथमिकता सीएनसीपीएल के आदेशानुसार की जाएगी।

6.6.2 जिन राज्यों में रखरखाव के प्रति लापरवाही की वजह से मौजूदा ग्रामीण थू रुट्स बहुत खराब स्थिति (पीसीआई सामान्यतः 3 अथवा इससे कम है) में हैं, वहाँ थू रुट्स का उन्नयन/नवीनीकरण कार्य नए सड़क संपर्क के गौण कार्य के रूप में शुरू किए जा सकते हैं और इसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी :

चरण 1 प्राथमिकता क्रम में सीएनसीपीएल के अनुसार नए सड़क संपर्क का चयन।

चरण 2 ऐसे ग्रामीण थू रूट्स (संबद्ध थू रूट्स) की पहचान करना जहाँ से नए संपर्क को शुरू करके ऐसी सड़क तक ले जाया जाय, जो नजदीकी विपणन केन्द्र / उच्च श्रेणी की सड़क तक पहुँचता हो ।

चरण 3 चरण 2 (पीसीआई पंजी से) में निर्धारित संबद्ध ग्रामीण थू रूट्स के पेवमेंट की स्थिति का पता लगाना ।

चरण 4 पीसीआई के आधार पर अपेक्षित किरम का कार्य निर्धारित करना । इसे इस निर्णय के रूप में लिया जाएगा कि क्या विपणन केन्द्र को जाने वाली सड़कों को उन्नत करने अथवा उनकी सतह के नवीनीकरण अथवा उनके नियमित रखरखाव की आवश्यकता है । जिन सड़कों की पीसीआई 3 या इससे कम है और 6 वर्ष अथवा इससे अधिक पुरानी है का उन्नयन / नवीनीकरण कार्य शुरू किया जा सकता है । ऐसी सड़कें जिसकी पी सी आई 3 से अधिक है अथवा जिन्हें बने 6 वर्ष नहीं हुए हैं उनका नियमित रखरखाव अथवा नवीनीकरण का समय आ गया हो, तो नवीनीकरण उपयुक्त रहेगा संरचनात्मक /ज्यामितिक / निकासी दोष इस स्वरूप के हो कि उनके सुधार के लिये उन्नयन की आवश्यकता है ।

चरण 5 इनमें व्यापक नई सड़क संपर्क प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल) के अनुसार चरण 3 में निर्धारित थू रूट्स में जुड़ने वाले सभी अन्य पात्र नए सड़क संपर्क शामिल है भले ही ये सड़कें संपर्क प्राथमिकता कम में नीचे हों । ये पात्र नए संपर्क गौण रूट्स होंगे ।

चरण 6 इस प्रकार प्रत्येक परियोजना में प्राथमिक नए सड़क संपर्क संबद्ध थू रूट (स) और गौण नए सड़क संपर्क (संबद्ध रूट्स में आने वाले ) का एक उप-नेटवर्क होगा । परियोजना प्रस्ताव में नए संपर्कों के लिये नव निर्माण और सड़क निर्माण काल और पीसीआई के आधार पर थू रूट्स का उन्नयन नवीनीकरण शामिल होगा । सामान्यतः प्रत्येक ऐसी परियोजना में निविदा के प्रयोजनार्थ पैकेज होगा किसी वर्ष विशेष के लिये पैकेज भावी अनुरक्षण उद्देश्यों के लिये एक समूह बनेंगे ।

चरण 7 प्रति कि. मी निर्माण /समूह लागत के आधार पर परियोजना लागत का मोटा अनुमान लगाना और सीएनसीपी सूची में अतिरिक्त संपर्क सड़क का निर्माण कार्य आरंभ करना और जब तक चयनित परियोजना की कुल लागत जिला आबंटन के बराबर न हो जाए चरण-1 से चरण-5 को दोहराना ।

- 6.7 उन जिलों के मामले में जहाँ नए सड़क संपर्क शेष नहीं है केवल मौजूदा ग्रामीण थ्रू रूट्स को उन्नत करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे मामलों में व्यापक सुधार प्राथमिकता सूची (सीयूपीएल) लागू होगी और प्राथमिकता के कम में सीयूपीएल में से सड़क कार्यों का चयन किया जाएगा।
- 6.8 सड़क कार्यों को वार्षिक सूची तैयार करने में जिला पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि नए सड़क संपर्क / उन्नयन कार्य के लिये प्राथमिकता कम का कड़ाई से पालन हो रहा है। प्राथमिकता के कम में कोर नेटवर्क के अपवाद नए सड़क संपर्कों में कगेवल वे रूट्स हैं जिनमें ग्राम पंचायत मुख्यालय अथवा विपणन केन्द्र अथवा अन्य शैक्षिक अथवा चिकित्सीय अनिवार्य सेवाएं अथवा वे जो राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों के रूप में अधिसूचित हैं शामिल हैं। ऐसे मामलों में जनसंख्या आकार कुछ भी हो नए सड़क संपर्क आरंभ किए जा सकता है।
- 6.9 परियोजना प्रस्ताव प्राथमिकता कम का पालन करते हुए सीएनसीपीएल या सीयूपीएल जैसा भी मामला हो पर आधारित होंगे तथापि यह संभव है कि विशेष कर नए सड़क संपर्क के मामले में संबद्ध थ्रू रूट्स अथवा गौण संपर्क रूट्स में असावधानी से त्रुटि या चूक रह जाए। तदनुसार यह वॉचनीय है कि कोर नेटवर्क में वार्षिक प्रस्ताव में सड़क कार्यों के चयन को अंतिम रूप देते समय जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाय। संसद सदस्यों को पूरा महत्व दिये जाने की आवश्यकता है और इस प्रयोजन के लिये:
- i. प्रत्येक संसद सदस्य को ब्लॉक अथवा जिला सीएनसीपीएल / सीयूपीएल इस अनुरोध के साथ भेजी जानी चाहिए कि सीएनसीपीएल / सीयूपीएल में से कार्यों के चयन से संबंधित अपने प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजे जाए। सुझाव है कि इस प्रयोजनार्थ कम से कम पूरे 15 दिनों का समय दिया जाय।
  - ii. यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्राथमिकता निर्धारण का उपलब्ध निधियों में कुछ उल्लेख है कि संसद सदस्यों को सी एनसीपी / सीयूपीएल सूची भेजते समय संभावित प्रस्तावों के आकार के बारे में भी बताया जाय। अपेक्षित भौगोलिक विस्तार के अनुसार चयन कर पाने के लिये जिला / ब्लॉक वार आबंटन का उल्लेख किया जा सकता है। यह अपेक्षा की जाती है कि संसद सदस्यों के ऐसे प्रस्तावों जो प्राथमिकता कम के अनुसार हैं को निधियों के औचित्यपूर्ण आबंटन पर विचार करने के पश्चात् अनिवार्यतः स्वीकार किया जाएगा।
  - iii. निर्धारित तारीख तक संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर जिला पंचायत में पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। जिला पंचायत को प्रस्ताव शामिल न करने के प्रत्येक मामले में कारण दर्ज

करना चाहिए और संसद सदस्यों को उनके प्रस्तावों को शामिल करने / न करने और शामिल ने करने की स्थिति में प्रत्येक मामले में कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए । यह बेहतर होगा कि यदि नोडल विभाग से वरिष्ठ स्तर पर सूचना जारी की जाए ।

- 6.10 लोकसभा सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में परामर्श किया जाएगा जबकि राज्य सभी सदस्यों से राज्य के उस जिले के बारे में परामर्श किया जाएगा जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनके लिए वे ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति के उपाध्यक्ष नामित किए गए हैं ।
- 6.11 प्राथमिकता क्रम और सीएलसीपीएल / सीयूपीएल प्रस्ताव करने के लिये दोहरे आधार होंगे । यदि प्राथमिकता क्रम में पहले आने वाले सड़क कार्य आरंभ किए जाने बाकी है तो उसी जिले में यदि जमीन की अनुपालब्धता आदि कारणों से सड़क कार्य निष्पादन संभव नहीं हो पाने की स्थिति में प्राथमिकता क्रम में बाद में आने वाले सड़क कार्य आरंभ नहीं किए जाएंगे (पैरा 6.8 के अध्यधीन) जिले के लिये प्रस्ताव को अन्तिम रूप देते समय जिला पंचायत प्रत्येक ऐसे मामले में इस आशय का कारण दर्ज करेगी और सूचित करेगी कि प्राथमिकता क्रम में उपर की सड़क को छोड़ दिया गया है और प्राथमिकता क्रम में नीचे की सड़क का प्रस्ताव किया गया है ।
- 6.12 राज्य सरकार / जिला पंचायत की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी की प्रस्तावित सड़क कार्य आरंभ करने के लिए जमीन उपलब्ध है । प्रत्येक सड़क कार्य के प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए कि जमीन उपलब्ध है । ध्यान रहे कि पीएमजीएसवाई में भू-अर्जन के लिये निधियों का प्रावधान नहीं है तथापि इसका यह तात्पर्य नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा अपनी लागत पर भू अर्जन नहीं की जा सकती है । राज्य सरकार जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये स्वैच्छिक दान, विनिमय अथवा अन्य तंत्र के लिए दिशा निर्देश भी निर्धारित कर सकती है । सड़क कार्यों के लिये जमीन उपलब्धता कराने की प्रक्रिया से सार्वजनिक हित होना चाहिए और यह उचित एवं न्यायोचित होनी चाहिए । उपलब्ध करायी गई जमीन के ब्यौरे स्थायी भू अभिलेखों में दर्ज कराए जाने चाहिए ताकि विवाद से बचा जा सके ।
- 6.13 कभी कभी सड़क कार्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय जमीन की वास्तविक उपलब्धता की जाँच नहीं करने अथवा प्रस्तावित संरेखण के बारे में स्थानीय पंचायत को विश्वास में नहीं लेने के परिणामस्वरूप विवाद पैदा होने के कारण हो जाते हैं पीएमजीएसवाई प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सभी राज्य सरल अनौपचारिक “ट्रॉजेक्ट वाक” जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय सहायक अभियंता द्वारा आयोजित की जा सकती है शामिल कर सकते हैं इसमें पंचायत

प्रधान स्थानीय पटवारी और कनिष्ठ अभियंता भाग लेंगे । जहाँ वन भूमि का मामला है वन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा ।

## 7 राज्य स्तरीय एजेंसियां

- 7.1 प्रत्येक राज्य सरकार (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सहित) निष्पादन एजेंसियों के रूप में नामित की जाने वाली एक या दो उचित एजेंसियों (सभी जिलों में मौजूद रहने वाली और समय पर सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने में सक्षम) का निर्धारण करेगी । ये लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा संगठन / ग्रामीण निर्माण विभाग / जिला परिषद / पंचायती राज अभियांत्रिकी विभाग इत्यादि हो सकते हैं, जो कई सालों से कार्यरत है और उनके पास अपेक्षित अनुभव, सुविज्ञता और कर्मचारी है ऐसे राज्यों में जहाँ राज्य सरकार ने एक से अधिक निष्पादन एजेंसी निर्धारित की है जिले के साथ कार्य का वितरण एक इकाई के रूप में किया जाएगा । दूसरे शब्दों में प्रत्येक जिले को केवल एक ही निष्पादन एजेंसी सौंपी जाएगी । निष्पादन एजेंसी की जिले में एक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) अथवा जिलों का समूह होगा जिसमें उसके प्रमुख के रूप में कम से कम कार्यकारी अभियंता के स्तर का एक अधिकारी होना चाहिए ।
- 7.2 सड़क कार्यों का निष्पादन करने वाली निष्पादन एजेंसी के लिये उत्तरदायी राज्य सरकार का प्रशासनिक विभाग नोडल विभाग होगा विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अन्तर्गत एक से अधिक निष्पादन एजेंसी होने की स्थिति में राज्य सरकार उस विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित करेगी जो ग्रामीण सड़कों के प्रबंधन एवं रखरखाव के लिये आधिकारी तौर पर जिम्मेदार है ।
- 7.3 नोडल विभाग नीचे पैरा 18 में निर्दिष्टानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय से निधियों प्राप्त करने के लिये अपने नियंत्रणाधीन एक विशिष्ट हैसियत वाली राज्य स्तरीय स्वायत एजेंसी (सोसायटी इत्यादि) जिसे राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एसआरआरडीए) यदि ऐसी कोई राज्य स्तरीय एजेंसी नहीं है तो नोडल विभाग रजिस्ट्रेशन आफ सोसाईटीज एकट के तहत एक एजेंसी को पंजीकृत करने के लिये कदम उठाएगा (एक से अधिक एजेंसी नहीं होनी चाहिए) ताकि निधियों प्राप्त की जा सके । नोडल विभाग के प्रभारी सचिव या कोई वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होंगे । सभी प्रस्तावों को राज्य स्तरीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय की मंजूरी हेतु एनआरआरडीए को भेजने के लिए एजेंसी द्वारा उनकी पुनरीक्षा की जाएगी ।
- 7.4 सुचारू किया—कलाप और पर्याप्त समन्वय सुनिश्चित करने के लिये (विशेषकर जहाँ एक से अधिक निष्पादन एजेंसी है) कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई के अधिकारियों को राज्य ग्रामीण सड़क विकास

एजेंसी के प्रति पूर्ण उत्तरदायी बनाने और उन्हें उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लाने की आवश्यकता है। एसआरआरडीए ग्रामीण सड़कों के लिये राज्य नोडल विभाग की निष्पादन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी ताकि पीएमजीएसवाई सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण सड़कों का समेकित विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ, एस आर आर डी ए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक वित्त नियंत्रक, एक अधिकार—प्राप्त अधिकारी, एक आईटी नोडल अधिकारी और एक राज्य गुणवत्ता समन्वयक को नामित करेगी। ये अधिकारी राज्य में कार्य की मात्रा के अनुसार अंशकालिक या पूर्णकालिक होंगे।

- 7.5 प्रत्येक राज्य सरकार कार्यक्रम के सभी संबंध अधिकारियों, अर्थात् ग्रामीण विकास, पंचायतें, पीडब्लूडी, वन, वित्त, राजस्व और परिवहन विभागों के सचिवों को शामिल करके राज्य स्तरीय स्थायी समिति (इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव अथवा अपर मुख्य सचिव होंगे) गठित करेगी राज्य तकनीकी एजेंसियों और राज्य सूचना अधिकारी भी भाग लेने के लिये आमंत्रित किए जा सकते हैं।

समिति कोर नेटवर्क, सीएनसीपीएल और सीयूपीएल की पुनरीक्षा करेगी और वार्षिक परियोजना प्रस्ताव मंजूर करेगी। समिति निम्न कार्य भी करेगी:—

- (क) प्रगति और गुणवत्ता नियंत्रण की निगरानी,
- (ख) भूमि की उपलब्धता और वन/ पर्यावरण की कटाई से संसंबंधित मुद्दों को हल करना.
- (ग) कोर नेटवर्क के लिये रख रखाव वित्त—पोषण व्यवस्थाओं की जांच करना.
- (घ) वित्तीय प्रबंधन और आन लाइन निगरानी सहित एसआरआरडीए और पीआईयू स्तरों पर क्षमता की समीक्षा करना.
- (ङ.) निर्मित सड़कों पर परिवहन सुविधाओं सहित विकास कार्यक्रमों में तालमेल सुनिश्चित करना।

8.0 परियोजना प्रस्तावों की तैयारी और उनकी स्वीकृति.

- 8.1 जिला पंचायतों के अनुमोदन के बाद प्रस्तावों को पीआईयू के जरिए राज्य स्तरीय एजेंसी को भेजा जाएगा (उपर्युक्त पैरा 7.3 देखें) उसके बाद पीआईयू प्रोफार्मा एमपी—1 और एमपी—2 में संसद सदस्यों द्वारा भेजे प्रस्तावों और उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे तैयार करेगी और इसे प्रस्तावों के साथ भेजेगी। उन सभी मामलों में जहां संसद सदस्य का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है, जिला पंचायत द्वारा बताए गए कारणों के आधार पर अकाट्य कारणों का उल्लेख किया जाएगा।

- 8.2 राज्य स्तरीय एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिये प्रस्तावों का पुनरीक्षण पुरीक्षण करेगी कि वे दिशा—निर्देशों के अनुरूप हैं और फिर उन्हें एमपी—1 और एमपी—2 विवरणों के साथ राज्य स्तरीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
- 8.3 यह देखने के लिये कि प्रस्ताव दिशा—निर्देशों के अनुरूप है और संसद सदस्यों के प्रस्तावों पर पूरा ध्यान दिया गया है, राज्य स्तरीय स्थायी समिति प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी। राज्य स्तरीय स्थायी समिति द्वारा संवीक्षा के बाद, पीआईयू प्रत्येक प्रस्तावित सड़क कार्य के लिये समय समय पर जारी ग्रामीण सड़क नियमावली और अनुदेशों के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगी।
- 8.4 डीपीआर तैयार करते समय पीआईयू ग्राम पंचायत तंत्र के जरिए स्थानीय समुदाय के साथ परामर्श करेगी ताकि सर्वाधिक उपयुक्त संरक्षण निर्धारित किया जा सके, जमीन की उपलब्धता (वन भूमि सहित ) के मुद्दों का हल किया जा सके, प्रतिकूल सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके, और कार्यक्रम में आवश्यक सामुदायिक भागीदारी लाई जा सके। इस प्रयोजनार्थ पीआईयू अनौपचारिक ट्रान्जेक्ट वाक आयोजित करेगी जो इस प्रकार है:-
- पर्याप्त प्रचार करने के बाद सहायक अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता, पटवारी और पंचायत/ वार्ड के प्रधान/ पंच को साथ लेकर ट्राजेक्ट वाक करेंगे। इसमें स्थानीय वन कर्मचारी को भी सम्मिलित किया जा सकता है।
  - “वाक” के दौरान, वैकल्पिक संरेखण, सड़क के लिये भूमि की आवश्यकता एवं भू—स्वामियों पर इसका प्रभाव आदि पर वहां मौजूद स्थानीय समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा की जाएगी।
  - समाधान हेतु वनस्पति, मृदा और जल आदि पर पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाया जाएगा।
  - “वाक” के दौरान, इसमें रुचि रखने वाले व्यक्तियों को अपने—अपने विचार रखने के लिये विधिवत अवसर दिया जाएगा।
  - “वाक” के अंत में, “वाक” के दौरान उठे मुद्दों को रिकार्ड करने के बाद संरेखण को अंतिम रूप दिया जाएगा और मुद्दों का समाधान करने के लिये कार्रवाई की जाएगी/का प्रस्ताव रखा जाएगा। पंचायत के सचिव इसका दस्तावेज तैयार करेंगे और पंच/प्रधान उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। इस दस्तावेज की एक प्रति अंतिम रूप से तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी।
- 8.5 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय पीआईयू निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:-

- i. पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत निर्मित ग्रामीण सड़के आईआरसी की ग्रामीण सड़क नियमावली (आईआरसी एसपी 20:2002) और जरूरत पड़ने पर पर्वतीय सड़क नियमावली (आईआरसी

एसपी 48) में दिये गये तकनीकी विनिर्देशनों और ज्यामितिक डिजाइन के मानकों को अनिवार्यतः पूरा करेगी।

- ii. सड़क के लिये डिजाइन और सतह का चयन अन्य बातों के साथ—साथ ग्रामीण सड़क नियमावली (आईआरसी एसपी 20:2002) में निर्धारित तकनीकी विनिर्देशनों का पालन करते हुए यातायात की मात्रा, मृदा के प्रकार और जैसे घटकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। सामान्यतः ग्रामीण सड़कों का डिजाइन इस प्रकार का होना चाहिये कि उस पर प्रतिदिन कम से कम 45 वाणिज्यिक वाहनों (सीबीपीडी) का आवागमन हो सके। नए निर्माण हेतु डिजाइन के सभी मामलों में जहां अधिक यातायात की संभावना है, विस्तृत औचित्य दिए जाने की जरूरत है। 1000 से कम की आबादी वाली पात्र बसावटों हेतु नई सड़क के निर्माण के मामले में जहां यातायात बहुत कम 15 सीबीपीडी से कम रहने की संभावना है, किफायत की दृष्टि से सड़कों का डिजाइन सामान्यतः ग्रेवल अथवा कच्ची सतह वाली सड़कों का होगा जैसा कि ग्रामीण सड़क नियमावली में प्रावधान है, परन्तु वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। 500 से कम की आबादी वाले बसावटों में नई सड़क के निर्माण के मामले में जहां यातायात में बहुत कम वृद्धि होने की संभावना है, सड़कों की चौड़ाई को और भी 3.0 मी. तक सीमित किया जा सकता है।
- iii. किसी बसावट से सड़क के गुजर की अवस्था में निर्मित क्षेत्र में सड़क और किसी एक ओर 50 मी. के लिये यथासंभव सीमेंट की सड़क अथवा पेब्ड पत्थरों का डिजाइन होना चाहिए, के किनारे की नालियों की व्यवस्था के अतिरिक्त होगा। किनारे की नालियां उचित होनी चाहिए। उचित पार्श्व नालियां भी बनाई जाएंगी ताकि पानी की अनुचित निकासी से सड़कों को या इसके आसपास की बसावटों को कोई नुकसान न पहुंचे।
- iv. जहां कहीं भी स्थानीय सामग्रियां, राख सहित उपलब्ध है उनका तकनीकी मापदण्डों और कार्य के संबंध कोडों के अनुरूप निर्धारण किया जाना चाहिये।
- v. पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों में उचित तटबंध/नाली होनी चाहिए। जांच के माध्यम से मालूम की गई स्थल की जरूरतों के आधार पर जहां कहीं भी उचित लगे, पुलियों के साथ—साथ पर्याप्त संस्था में पार्श्व नालियों के कार्य किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर छोटे पुलों की व्यवस्था की जा सकती है। 15 मी. से अधिक लंबे पुलों के मामले में सुपरिटेंडिंग इंजिनियर और राज्य तकनीकी एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से कार्यस्थल की जांच करने के बाद अलग से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। 25 मी. से अधिक लंबे पुलों के मामले में परियोजना को राज्य सरकार के उस अभियांत्रिकी

प्रभाग द्वारा, जिनके पास वह कार्याधिकार क्षेत्र है अलग से निष्पादित किया जाएगा और यदि 25 मी. से अधिक की यथा अनुपात लागत और एजेंसी प्रभार यदि कोई है, का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

vi. पहाड़ी राज्यों के मामले में जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्यों के आंकलन दो भागों में तैयार किए जा सकते हैं। अर्थात्—

(क) पहले चरण में फारमेशन का काटना, ढाल स्थिरीकरण, बचाव कार्य और निकासी कार्य शामिल होंगे। यदि दूसरे चरण में सड़कों पर बिटूमन छिना है तो ऐसा बारिश के दो मौसम बीत जाने के बाद ही किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि बगल के ढलान अच्छी तरह मजबूत हो गए हैं। दूसरे चरण में डब्ल्यू बी एम सतह और बिटूमन की सतह बिछाने का काम शामिल होगा। जब तक दूसरा चरण पूरा नहीं हो जाता संबंधित बसावटों को संपर्क पुक्ता बसावटें नहीं माना जाएगा।

(ख) जहां राज्य सरकार नीतिगत रूप में सहमत है कि कम यातायात, फारमेशन काटना, ढाल स्थिरीकरण और बचाव कार्य जैसी कुछ स्थितियों में "कच्ची" सतह पर्याप्त है तो संपूर्ण निकासी कार्यों और समुचित उपरी सतह बनाने (बारहमासी संपर्क सुनिश्चित करने के लिये) के सभी कार्यों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा और कार्य निष्पादित किया जाएगा। ऐसे मामलों में, पहले चरण के पूर्ण होने के बाद बसावटों "को स्वतः संपर्कयुक्त" बसावटों के रूप में लिया जाएगा और दूसरे चरण की जरूरत नहीं होगी।

8.6 राज्य सरकार के संसाधनों से वित्तपोषित किए जाने वाले एक अलग अनुरक्षण घटक की भी नीचे दिये अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में व्यवस्था की जाएगी:-

- (क) संपर्क रूटों (नए निर्माण) के मामले में घटक में 5 वर्षों के लिये नियमित अनुरक्षण शामिल होगा।
- (ख) संबंद्ध ग्रामीण थूरू रूटों के मामले में, जिनके उन्नयन की जरूरत नहीं है, घटक में चक के अनुसार एक नवीनीकरण सहित 5 वर्षों के लिये नियमित अनुरक्षण शामिल होगा।
- (ग) उन्नयन हेतु लिये गये थूरू रूटों के मामले में 5 वर्षों के लिये नियमित अनुरक्षण और अवधि के अंत में एक नवीनीकरण शामिल है।

नये निर्माण/ उन्नयन कार्य के साथ साथ उसी ठेकेदार को अनुरक्षण घटक का ठेका दिया जाएगा। यदि थू रूट ग्रामीण सड़क नहीं है तो मुख्य ग्रामीण संपर्को (एसआरएल) में वहाँ प्रावधान लागू होगा जो कोर नेटवर्क के लिये निर्धारित है।

8.7 पहाड़ी सड़कों के मामले में, यदि निर्माण कार्य दो चरणों में है, तो दूसरे चरण के लिये संविदा करते समय प्रारंभिक 5 वर्षों के अनुरक्षण का भी संविदा किया जाएगा। पहले ओर दूसरे चरण के बीच की अवधि में अंतरिम अनुरक्षण, स्लिप्स की सफाई आदि का कार्य विभागीय तौर पर किया जा सकता है।

8.8 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, जिसमें जांच सर्वेक्षण और परीक्षण शामिल है तथा ट्रेस कटाई (पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में) की लागत परियोजना लागत का हिस्सा होगी और इसकी पूर्ति एसआरआरडीए के पास उपलब्ध निधियों से की जा सकती है जो भविष्य में ऐसी दरों पर जिन्हें मंत्रालय/ एनआरआरडीए द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए, प्रस्तावों की मंजूरी मिल जाने के बाद लेखों में समायोजन के अध्यधीन होगी।

8.9 विस्तृत आंकलन विनिर्देशन पुस्तिका और एनआरआरडीए द्वारा निर्धारित मानक आंकड़ा पुस्तक के आधार पर तैयार की गई दर अनुसूची (एसएसआर) पर आधारित होगा।

8.10 दर अनुसूची (एसएसआर) प्रति वर्ष प्रकाशित की जाएगी और सभी ग्रामीण सड़कों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अनुसूची जिला या अंचल विशिष्ट हो सकती है।

#### 9.0 परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा:

9.1 एनआरआरडीए ने प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए) के रूप में नामित प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाओं की पहचान की है ताकि पीआईयू को आउटसोर्स्ड तकनीकी सहयोग मुहैया कराया जा सके। एस टी ए जिला सड़क प्लान और कोर नेटवर्क की परिवीक्षा करेगी, सीएनसीपीएल और सीयूपीएल की जांच पड़ताल करेगी और वार्षिक प्रस्तावों के अंतर्गत तैयार की गई डीपीआर की संवीक्षा करेगी। एसटीए की प्रतिविधियों का समन्वयन एनआरआरडीए द्वारा किया जाएगा जो संस्थाओं की सूची में कुछ नाम जोड़ सकती है या हटा सकती है, और उन्हें विशिष्ट कार्य सौंपेगी। एनआरआरडीए समय समय पर अतिरिक्त तकनीकी गुणवत्ता वाली एजेसियों की पहचान कर सकती है ताकि राज्य सरकारों को ये सेवाएं दी जा सकें और ऐसे अन्य कार्य कर सकती है जो योजना के हित में आवश्यक हों।

एनआरआरडीए भी राज्यों के समूहों के लिये प्रमुख तकनीकी एजेंसियों (पीटीए) के रूप में भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान जैसी तकनीकी ओर अनुसंधान संस्थाओं का नामांकन करेगी। पीटीए तकनीकी सहायता प्रदान करेगी, अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करेगी, विभिन्न प्रौद्यौगिकियों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करेगी और ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और लागत मानदण्डों को बेहतर बनाने के उपायों पर सलाह देगी। प्रमुख तकनीकी एजेंसियां भी अपने कार्याधिकार क्षेत्र में एसटीए के कार्य का समन्वय करेगी।

- 9.2 ओएमएमएस सॉफ्टवेयर (पैरा 16.1 देखें) में प्रविष्टियां करने के पश्चात पीआईयू डिजाईन और आंकलनों की संवीक्षा के लिये एसटीए को विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। निर्धारित प्रोफार्मा एफ-1 से एफ-8 डीपीआर का भाग होंगे।
- 9.3 यह सत्यापित करने के बाद कि डीपीआर की प्रविष्टियां ओएमएमएस में कर दी गई हैं, पीएमजीएसवाई दिशा निर्देशों, ग्रामीण सड़क नियमावली (आईआरसी एसपी 20:2002) और जहां आवश्यक हो पहाड़ी सड़क मैन्युअल में निर्दिष्ट आईआरसी विनिर्देशनों और दरों की लागू तालिका के आलोक में एसटीए डीपीआर की समीक्षा करेगी। ऐसा करने से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मृदा (ब्लैक कॉटन सॉयल/सोडिक सॉयल को छोड़कर) की ढुलाई के लिये कोई लीड प्रभार देय नहीं होगा।

एसटीए विशेष रूप से निम्नलिखित की जांच-पड़ताल करेगी:-

- i. भूमि उपलब्धता का प्रमाण पत्र।
- ii. ट्रांजेक्ट वाक की प्रक्रिया।
- iii. सीएनसीपीएल / सीयूपीएल के लिये अभिपुष्टि।
- iv. यदि नये निर्माण का अनुमानित यातायात 45 सीवीपीडी से अधिक है तो इसका पूर्ण औचित्य।
- v. जहां सीडी कार्य 15 मी. से अधिक है, उस मामले में अलग डीपीआर।
- vi. डिजाईन की बचत जिसमें रोड़ी वाली सतह, स्थानीय सामग्री और राख का उपयोग शामिल है।
- vii. 5 वर्षीय नियमित अनुरक्षण के आंकलनों को तैयार करना और दिशानिर्देशों को पैरा 8.6 के अनुसार थू रूटों का आवधिक नवीनीकरण।

एसटीए प्रोफार्मा पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा, ओएमएमएस साफ्टवेयर में सम्पुष्टक प्रविष्टियां करेगा और संबंधित डीपीआरपीआईयू को लौटा देगी, तत्पश्चात् पीआईयू निर्धारित माध्यम के जरिए एसआरआरडीए को संवीक्षित डीपीआर भेजेगी।

9.4 एसआरआरडीए, यह सत्यापित करने के बाद कि संबंधित एसटीए द्वारा प्रस्तावों की विधिवत संवीक्षा कर ली गई है, पीआईयू से प्रस्तावों को एकत्र करेगी। तब वे निर्धारित प्रोफार्मा पर राज्य सार तैयार करेगी और एनआरआरडीए को सभी परियोजना प्रस्तावों के साथ प्रोफार्मा—एमपी—1, एपी—2—एमपी—3 को भेजेगी।

9.5 तत्पश्चात एनआरआरडीए एसआरआरडीए से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों को तैयार किया गया है और एसटीए द्वारा उनका विधिवत सत्यापन किया गया है। उसके बाद प्रत्येक राज्य के लिये प्रस्तावों को अधिकार संपन्न समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

#### 10.0 अधिकार संपन्न समिति:

10.1 केन्द्र स्तर पर राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता वाली अधिकार संपन्न समिति द्वारा विचार किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, जिनके प्रस्तावों पर अधिकार संपन्न समिति द्वारा विचार किया जा रहा है, को जरूरत पड़ने पर बैठक में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद, अधिकार संपन्न समिति की सिफारिशों को ग्रामीण विकास मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और यदि प्रस्ताव कार्यक्रम संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं तो उन्हें मंजूर किया जाएगा।

10.2 मंत्रालय प्रस्तावों की मंजूरी के बारे में राज्य सरकार को सूचित करेगा। तथापि ये नोट किया जाए कि मंत्रालय की मंजूरी का अर्थ प्रस्तावों को प्रशासनिक या तकनीकी मंजूरी मिल जाना नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार/ एसआरआरडीए की प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। कार्यों की निविदा देने की कार्रवाई शुरू होने से पहले निष्पादन एजेंसी के प्राधिकृत अधिकारी को प्रत्येक डीपीआर पर तकनीकी स्वीकृति दर्ज करनी होगी।

10.3 सड़क रूप—रेखा का एक बार अनुमोदन हो जाने के पश्चात जिला पंचायत, राज्य तकनीकी एजेंसी और राज्य स्तरीय स्थायी समिति की अनुमति प्राप्त किए बिना उसे बदला नहीं जाना चाहिए।

#### 11.0 कार्यों को निविदा करना:

11.1 परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति और उनकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद निष्पादन एजेंसी निविदाएं आमंत्रित करेगी। सभी परियोजनाओं के लिये प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए निविदा की सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। राज्य तकनीकी एजेंसी द्वारा जांची और मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई सभी परियोजनाओं को यथा स्थिति निविदा की जाएगी और एनआरआरडीए की पूर्व मंजूरी

के बिना कार्य में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सभी निविदाओं के लिए राज्यों द्वारा एनआरआरडीए द्वारा निर्धारित मानक बोली दस्तावेज को अपनाया जाएगा।

- 11.2 चूंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में समय और गुणवत्ता पर महत्व दिया जाता है, अतः राज्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिये आवश्यक कदम उठाएंगे और निविदा क्षमता की वास्तविक आधारों पर जांच करेंगे। इस उददेश्य के मद्देनजर, राज्य सुनिश्चित करेंगे कि सभी निविदा सूचनाओं को ओएमएस के अंतर्गत इंटरनेट पर डाला जाए। मानक बोली दस्तावेज के प्रावधान को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये निविदा क्षमता की केन्द्रीय समीक्षा की जाएगी। प्रक्रिया को जल्द निपटाने के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य एसआरआरडीए को निविदा मंगवाने और निर्णय लेने के अधिकार प्रदान कर सकते हैं।
- 11.3 निविदा आमंत्रित करने, ठेके की प्रक्रिया और समय सीमा, मानक बोली दस्तावेज के अनुसार होगी (जैसा कि पैरा 13.1 में भी संदर्भित है)। राज्य, हर समय ओएमएस पर निविदा मोड्यूल को अद्यतन करके रखेगा। ताकि निविदा दस्तावेजों को डाउनलोड किया जा सके। ठेके के हर विवरण को उसी समय, डेटाबेस में भी डाला जाएगा।
- 11.4 कार्य आदेश के 15 दिनों के भीतर, सड़क कार्य के स्थल पर पीएमजीएसवाई के लोगों (चिन्ह) के साथ एक साईन बोर्ड लगाया जाएगा। इस साइनबोर्ड पर, कार्यक्रम का नाम (पीएमजीएसवाई) सड़क का नाम, सड़क की लम्बाई, अनुमानित लागत, निर्माण कार्य शुरू होने की तिथि और उसकी समाप्ति की निर्धारित तिथि ओर निष्पादन करने वाले ठेकेदार का नाम होना चाहिये। वांछनीय है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह स्थायी ईटों की दीवार/ पक्का ढांचा, सड़क के दोनों ओर पर स्थित हों।
- 11.5 वार्षिक राज्य दर अनुसूची के उपयोग के साथ आशा की जाती है कि सामान्यतः निविदा की लागत, अनुमानित लागत के आस-पास होगी। जिले के भीतर अधिक्य/ कमी एसआरआरडीए द्वारा एनआरआरडीए को सूचना देते हुए पीआईयू के स्तर पर समायोजित कर लिया जाएगा और उसे ओएमएस में डाल दिया जाएगा बशर्ते किसी भी विशेष पैकेज में आधिक्य/ कमी 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो। अन्य हर मामले में एनआरआरडीए की पूर्व मंजूरी ली जाएगी।

यदि कार्य अथवा कार्य के परिमाण में बहुत अधिक अंतर है तो एनआरआरडीए की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी और इस अंतर को जिला स्तर अधिशेष में वहन किया जाएगा और ऐसा न होने पर इस उददेश्य के लिये राज्य स्तर निवल बचत का प्रयोजन किया जाएगा ऐसे मामलों में ओएमएस एस में डेटा का संशोधन एनआरआरडीए के प्राधिकार से ही किया जाएगा।

समय सीमा से अधिक समय लेने विवाचन अथवा न्यायिक अधिनिर्णय से होने वाले खर्च को राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा। यदि प्राप्त निविदाओं का मूल्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अनुमान से अधिक है तो वह अंतर (निविदा राशि) संपूर्ण राज्य के एक चरण/ बैच में स्वीकृत कार्यों के लिये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

#### 12.0 कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों :

- 12.1 जिला स्तर पर कार्यक्रम, निष्पादक एजेंसियों द्वारा समन्वित और कार्यान्वित किया जाएगा। सभी पीआईयू का प्रबंधन उपलब्ध स्टॉफ में से सक्षम तकनीकी कर्मचारियों द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। कुछ विशेष मामलों में एनआरआरडीए की पूर्व मंजूरी के साथ सलाहकारों को क्षमता संवर्धन के लिये सम्मिलित किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिये एनआरआरडीए का आदर्श दस्तावेज का प्रयोग किया जाएगा।
- 12.2 स्टाफ खर्च, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना कर्मचारी खर्च को प्रदान नहीं करता। तथापि पीआईयू एजेंसियों के यात्रा एवं प्रशासनिक खर्च और एसआरआरडीए खर्च का वहन निम्नलिखित अनुसार किया जाएगा और इसमें अतिरिक्त खर्च को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

मद	रिलीज की गई निधियों का प्रतिशत
क. कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों के लिये प्रशासनिक खर्च	1.00 प्रतिशत
ख. कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों का यात्रा खर्च	0.50 प्रतिशत
ग. प्रबंध एवं यात्रा खर्च (एसआरआरडीए)	0.25 प्रतिशत (25 लाख रुपये अधिकतम)
घ. स्वतंत्र गुणवत्ता मानीटरिंग दूसरा स्तर	0.50 प्रतिशत

इस उद्देश्य हेतु,

- सामान्य कार्यालय खर्च के साथ-साथ प्रशासनिक खर्च में ओएमएस कम्प्युटर्स और उसके प्रबंधन तथा परिचालन से संबंधित सभी खर्च शामिल होंगे और इसमें इंटरनेट शुल्क एवं डेटा एन्ट्री खर्च भी सम्मिलित है। कार्यान्वयन एवं प्रबंधन से संबंधित कार्यों के लिये आउटसोर्सिंग के लिये किये गये भुगतान को भी निर्धारित सीमा के भीतर प्रशासनिक खर्च में से लिया जाएगा। तथापि, वाहन की खरीद वैतन एवं मजदूरी के भुगतान और भवनों की खरीद अथवा निर्माण की अनुमति नहीं है।
- एसआरआरडीए को राशि कार्यक्रम की निधियों के साथ रिलीज की जाएगी। एसआरआरडीए पीआईयू को राशि आवंटित करेगा (अधिकार संपन्न अधिकारी द्वारा प्राधिकृत सीमा के अनुरूप कम संख्या क और ख) के संदर्भ में और यह आवंटन एसआरआरडीए को रिलीज की गई निधियों के अनुसार कार्य की वास्तविक प्रगति और पीआईयू की आवश्यकताओं के अनुसार की जाएगी।

- iii. यदि कार्य पूरा करने की अवधि कालातीत हो जाती है अथवा अंतिम अवस्था में उसे छोड़ दिया गया, तो अगले खर्च की रिलीज की किस्त में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
- iv. उद्देश्य के लिये निधियां अलग खाते (प्रशासनिक खाता) में रखी जाएंगी और कार्यक्रम के खाते की तरह से चलायी जाएंगी (देखे पैरा 18) प्रशासनिक खर्चों के लिये राज्य सरकार की निधियां और एजेंसी की आय जो प्रशासनिक उद्देश्यों के लिये हैं, को भी उसी खाते में रखा जाएगा और पर कोई भी अन्य निधियां खाते में नहीं डाली जाएंगी और न ही यह खाता मंजूर की गई प्रशासनिक यात्रा एवं गुणवत्ता मानीटरिंग खर्चों के अतिरिक्त किसी अन्य खर्चों के लिये प्रयुक्त किया जाएगा।
- v. प्रशासनिक और यात्रा खर्चों की रिलीज निम्न पर आधारित होंगी:—
  - ◆ ओएमएमएस मॉड्यूल्स का निरंतर अद्यतनीकरण।
  - ◆ पीआईयू का उपयुक्त रूप से समर्पित होना और उनका एसआरआरडीए में स्पष्ट संपर्क और
  - ◆ नोडल आईटी अधिकारी, राज्य गुणवत्ता समन्वयक, वित्तीय नियंत्रक और अधिकार सम्पन्न अधिकारी सहित असआरआरडीए स्तर पर उपयुक्त सांस्थनिक प्रणाली।

12.3 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले सड़क कार्यों के लिये एजेंसी प्रभार लागू नहीं होंगे। यदि क्रियान्वयन एजेंसियों किसी भी प्रकार का प्रभार, जैसे केन्द्रीय प्रभार इत्यादि वसूलती हैं, तो यह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

### 13.0 कार्यों का कार्यान्वयन

- 13.1 संबंधित परियोजनाएं पीआईयू द्वारा कार्यान्वयन की जाएंगी तथा कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 9 माह की अवधि के भीतर इन्हें पूरा किया जाएगा प्रत्येक कार्य के लिये ठेकेदार से कार्य का एक कार्यक्रम प्राप्त किया जाएगा और पीआईयू से अनुमोदित कराया जाएगा। भुगतान केवल कार्य कार्यक्रम के अनुमोदन ठेकेदार द्वारा आवश्यक संख्या में इंजीनियरों की तैनाती और कार्यथल पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के पश्चात ही किया जाएगा। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि:—
- i. 9 महीने की अवधि का अर्थात् 9 कार्य महीने होंगे। जब कार्यान्वयन की अवधि के मानसून अथवा अन्य मौसमी घटकों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो तो कार्यक्रम को अनुमोदित करते समय कार्यान्वयन की समयावधि को उपयुक्त रूप से निर्धारित किया जाए पर किसी भी स्थिति में 12 महीने से अधिक न हो।

ii. जहां पैकेज में एक से अधिक सड़क कार्य शामिल हों पैकेज पूरा करने के लिये दिया जाने वाला कुल समय 12 कैलेन्डर महीने से अधिक न ही होना चाहिए।

iii. पर्वतीय राज्यों के संबंध में जहां कार्य दो चरणों में कार्यान्वित किया जा सकता है उपर्युक्त बातें प्रत्येक चरण के लिये अलग अलग लागू होंगी।

iv. निविदा आमंत्रण में दी गई समयावधि और कार्यक्रमों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। चूंकि समय सीमा ही ठेके का मूलाधार है, विलंब होने पर ठेकेदार के खिलाफ, अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए।

13.2 उपर्युक्त समय सारणी के अनुसार और 75 दिन की औसत निविदा समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी मंजूर किये गये कार्यों के पूरा होने की रिपोर्ट, मंत्रालय द्वारा मंजूरी से 15वें महीने के अंत में भेजी जानी चाहिये। अगले वर्ष के मंजूर किए गए कार्यों की दूसरी किस्त को रिलीज की पात्रता इसी के अनुसार तय की जाएगी। (पैरा 19 का संदर्भ)।

13.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख सिद्धान्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है ताकि सड़क कार्यों को समय से पूरा होने में सहायता मिल सके। यह कार्यान्वयन एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी कि वे ठेकेदार का भुगतान समय पर करें बशर्तों कार्य का निश्पादन संतोषजनक हो। देय भुगतान में विलंब से बचना चाहिए। ठेकेदार का पूरा भुगतान करना, कार्य के सफल निष्पादन की निगरानी के लिये एक प्रमुख मानदंड होगा।

13.4 गुणवत्ता बरकरार रखने, कार्यों का समय से पूरा होना सुनिश्चित करने और ग्रामीण सड़क नेटवर्क के रख रखाव को प्रोत्साहन देने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों के लिये प्रोत्साहन देने/प्रोत्साहन न देने की योजना बना सकता है।

#### 14 राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी—

14.1 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम के परिचालन ओर प्रबंध सहायता देने के लिये राष्ट्रीय सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) बनाई है एनआरआरडीए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिये सहायता प्रदान करेगी:-

- i. डिजाइन एवं विशिष्टताएं तथा लागत मानदंड
- ii. तकनीकी एजेंसियां

- iii. जिला ग्रामीण सड़क योजना और कोर नेटवर्क
- iv. परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा
- v. गुणवत्ता निगरानी
- vi. ऑनलाईन निगरानी सहित प्रगति की निगरानी
- vii. अनुसंधान एवं विकास
- viii. मानव संसाधन विकास
- ix. संचार

14.2 सभी राज्य सरकारें राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को आवश्यक रिपोर्ट, आंकड़े और जानकारी समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

#### 15.0 गुणवत्ता नियंत्रण तथा कार्यों का पर्यवेक्षण

15.1 सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के जिम्मेदारी कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों की होगी। इसके लिये सभी कार्यों का प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण किया जाएगा। एनआरआरडीए कार्य स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये गुणवत्ता नियंत्रण पर दिशानिर्देश जारी करेगी और एक गुणवत्ता नियंत्रण पुस्तिका निर्धारित करेगी। ऐसे प्रत्येक सड़क कार्य के लिये गुणवत्ता नियंत्रण पुस्तिका में निर्धारित परीक्षणों के परिणामों वाले गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखे जाएंगे। ठेकेदार द्वारा प्रत्येक पैकेज के लिये एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। जब तक प्रयोगशाला भलीभांति स्थापित कर ली गई हो और उपकरणों से सुसज्जित कर ली गई हो जब तक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण नियमित रूप से किए और रिकार्ड न किए जाते हों और सफल न पाए गए हों तब तक ठेकेदार को भुगतान न किया जाए। मानक वाली दस्तावेज (देखें पैरा 11.1) में ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण और निष्पादन गारंटी के लिये उपयुक्त उपबंध शामिल होना चाहिए, जिसे केवल रख रखाव के लिये जिम्मेदार पंचायती राज संस्थाओं से परामर्श लेकर। निष्पादित किया जाना चाहिये।

15.2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारें गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के पहले दो स्तरों के लिये उत्तरदायी होंगी। पीआई यू प्रथम स्तर होगा जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होगी कि प्रयुक्त की गई सामग्री और कार्य कुशलता निर्धारित विनियोगों के अनुरूप है। प्रथम स्तर पर पी आईयू ठेकेदार द्वारा स्थापित की जाने वाली कार्य स्थल गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का पर्यवेक्षण करेगा। वह

यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी निर्धारित परीक्षण विशेष व्यक्ति/ प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर कराए जाएं।

- 15.3 गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के दूसरे स्तर के रूप में कार्यों की आवधिक जांच राज्य सरकार द्वारा गठित/ नियुक्त गुणवत्ता एकों द्वारा कराई जाएगी जो कार्यकारी अभियन्ताओं/ पीआईयू से स्वतंत्र हो। यह आशा की जाती है कि इन अधिकारियों और एजेंसियों (जिन्हें राज्य गुणवत्ता मॉनिटर कहा जा सकता है।) द्वारा नियमित जांच की जाएगी तथा ये राज्य सरकार की प्रयोगशालाओं और कतिपय मामलों में स्वतंत्र प्रयोगशालाओं जो राज्य तकनीकी एजेंसियां की हो सकती है, में परीक्षण के बाद प्रयोग की गई सामग्रियों के नमूने भी लेंगे। राज्य सरकारें इस बारे में अपेक्षित दिशा—निर्देश जारी करेंगी।
- 15.4 प्रत्येक राज्य सरकार राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिये एक वरिष्ठ अभियंता (अधीक्षक अभियंता स्तर से कम न हो) नियुक्त करेंगे। उसका कार्य यह देखना है कि राज्य में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली संतोषजनक ढंग से कामकाज कर रही है। इस कार्य में राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं की रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जांच करना भी शामिल होगा। गुणवत्ता समन्वयक एनआरआरडीए का हिस्सा होना चाहिए।
- 15.5 गुणवत्ता नियंत्रण ढांचे के तीसरे स्तर के रूप में एनआरआरडीए कार्यक्रम के अंतर्गत सङ्क कार्यों की यादृच्छिक जांच करने के लिये स्वतंत्र निगरानी कर्ताओं (व्यक्तिगत/ एजेंसी) की नियुक्ति की जाएगी। इन लोगों को राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं के रूप में नामित किया जा कसता है। पीआईयू की यह जिम्मेदारी होगी कि उन राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं जिन्हें सभी प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय रिकार्ड सरलता से उपलब्ध कराए जाएंगे, द्वारा कार्यों की जांच को आसान बनाएं।
- 15.6 राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता सङ्क कार्यों, खासकर गुणवत्ता की जांच करेंगे। वे कार्यस्थल से नमूने ले सकते हैं तथा किसी भी सक्षम तकनीकी एजेंसी/ संस्थान से उनकी जांच करा सकते हैं। वे जिले में गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के सामान्य कामकाज कि रिपोर्ट भी देंगे। निगरानीकर्ता एनआरआरडीए को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एनआरआरडीए द्वारा एनक्यूएम की रिपोर्ट राज्य गुणवत्ता समन्वयक को भेजी जाएगी ताकि निर्धारित समय में समुचित कार्रवाई की जा सके। एसक्यूएम या एनक्यूएस द्वारा कार्य प्रगति के बारे में अगर गणवत्ता जांच में कार्य असंतोषजनक पाया जाता है है तो पीआईयू यह सुनिश्चित करेगी कि ठेकेदार निर्धारित समय—सीमा में सामग्री को बदलेगा या अपने कार्य कौशल (जैसा भी मामला हो) को सुधारेगा। एनक्यूएम रिपोर्टों के बारे में एसक्यूसी प्रत्येक माह अपने पास लंबित पड़ी प्रत्येक रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट देगा। कार्य

प्रगति के दौरान असंतोषजनक श्रेणी के सभी कार्यों की राज्य गुणवत्ता समन्वयक से सुधार रिपोर्ट प्राप्त हो जाने बाद एसक्यूएम या एनक्यूएम द्वारा पुनः जांच की जाएगी।

- 15.7 किसी विशिष्ट जिले/ राज्य में सड़क कार्यों की गुणवत्ता के बारे में बार बार प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने से उस क्षेत्र में कार्यक्रम तब तक के लिये स्थगित हो सकता है जब तक खराब कार्य में निहित कारणों को दूर नहीं कर दिया जाता।
- 15.8 राज्य गुणवत्ता समन्वयक/ पी आई यू प्रमुख को कार्यों की गुणवत्ता के मामले में अभ्यावेदनों/ शिकायतों को प्राप्त करने तथा उन की जांच करने का प्राधिकार होगा तथा व 30 दिनों के भीतर समुचित जांच के बाद शिकायत—कर्ता को उत्तर भेजने के लिये उत्तरदायी होंगे।

इस प्रयोजनार्थ, एसआरआरडीए निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:—

- i. राज्य गुणवत्ता समन्वयक के नाम, पता तथा अन्य विवरणों का इस आशय से राज्य में पर्याप्त प्रचार—प्रसार (निविदा नोटिस, बेबसाईट आदि सहित) किया जाएगा कि उन्हें शिकायतों प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।
- ii. राज्य गुणवत्ता समन्वयक सभी शिकायतों को दर्ज करेगा और पीआईयू द्वारा और जरूरत पड़ने पर राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता नियुक्त करके उनकी जांच करवाएगा।
- iii. सभी प्राप्त शिकायतों (पंजीकरण संख्या देकर) की पावती भेजी जाएगी तथा उत्तर देने की संभावित तारीख बताई जाएगी। रिपोर्ट की प्राप्ति पर शिकायत—कर्ता को परिणाम तथा की गई/ प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में बताया जाएगा।
- iv. राज्य सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार गुमनाम/ छद्म नाम वाली शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी।
- v. ग्रामीण विकास मंत्रालय/ एनआरआरडीए के माध्यम से प्राप्त शिकायतें जांच तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए सामान्यतया राज्य गुणवत्ता समन्वयक को भेजी जाएगी। अगर एसक्यूएम से रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो इसे निर्धारित समय—सीमा में भेजा जाएगा अगर निर्धारित समय में जबाब नहीं मिलता है तो एनआरआरडीए एनक्यूएम नियुक्त कर सकता है और आगे की कार्रवाई केवल एनक्यूएम की रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

vi. एसक्यूएम राज्य नोडल विभाग/ राज्य ग्रामीण सङ्क क एजेंसी के लिये मासिक रिपोर्ट (निर्धारित मार्मेट में ) बनाएगा और शिकायतों संबंधी कार्रवाईयों की स्थिति के बारे में राज्य स्तरीय स्थायी समिति में चर्चा की जाएगी।

एनआरआरडीए इन प्रणाली के कामकाज की निगरानी करेगी।

15.9 निर्धारित स्वतंत्र निगरानीकर्ताओं/ निगरानी एजेंसियों के संबंध में दूसरे स्तर के गुणवत्ता नियंत्रण खर्चों तथा पीएमजीएसवाई के गुणवत्ता निगरानी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वीकार्य खर्चों और परीक्षण शुल्कों आदि का वाहन पीएमजीएसवाई द्वारा किया जाएगा। स्वीकृत परियोजना लागत की 0.50 प्रतिशत राशि इस प्रयोजनार्थ एसआरआरडीए को रिलीज की जाएगी जो रिलीज की गइ कार्यक्रम निधियों के समानुपात में होगी। निधियों को एसआरआरडीए के प्रशासनिक खाते में जमा किया जाएगा। (पैरा 12.2 देखें)।

## 16.0 मानीटरिंग

16.1 कार्यक्रम की प्रभावी मानीटरिंग आलोचनात्मक होने के कारण राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि अधिकारी एसआरआरडीए तथा एनआर आरडीए को अपेक्षित रिपोर्ट/ जानकारी भेजने में देरी न करें। आन लाईन प्रबंध ओर मानीटरिंग प्रणाली कार्यक्रम की मानीटरिंग के लिये प्रमुख तंत्र होगी। इस के मद्देनजर अधिकारियों को समय समय पर एनआरआरडीए द्वारा यथा निर्धारित हर डाटा और सूचना को समयबद्ध आन लाईन मेनेजमेंट और मानीटरिंग सिस्टम में डालना होता है। वे कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर की आपूर्ति एनआरआरडीए द्वारा की जाएगी ओर उसे किसी भी स्तर पर राज्यों में बदला नहीं जाएगा, किसी भी बदलाव की आवश्यकता या सुझाव की की जानकारी एनआरआरडीए को देनी होगी।

16.2 राज्य सरकार को जिले ओर राज्य स्तर पर कम्प्यूटर हार्डवेयर लगाने के लिये आवश्यक कर्मचारी, स्थान और सुविधाएं प्रदान करनी चाहिये। चूंकि डाटा राज्य के सर्वर पर होंगे इसलिये राज्य स्तरीय एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सर्वर 24 घंटे कार्यरत रहे।

16.3 पीआईयू/ जिला स्तर पर कम्प्यूटरों की प्रभावी अप-टाईम ओर इंटरनेट संपर्कता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभियंता/ पीआईयू के प्रमुख की होगी। वह यह सुनिश्चित करने के लिये भी उत्तरदायी होगा कि ग्रामीण सङ्क योजना सहित सभी मास्टर आंकड़े रखे जा रहे हैं और सङ्क कार्य की प्रगति, गुणवत्ता निरीक्षण परीक्षणों का रिकार्ड और किए गए भुगतान से संबंधित आंकड़े निरंतर अद्यतन और सही रखे जा रहे हैं। अगर ओएमएसएस पर निरन्तर अद्यतन आंकड़े नहीं रखे जाते हैं तो संबंधित राज्य/ जिले की आगे की रिलीज प्रभावित हो सकती हैं

16.4 प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य सूचना प्रौद्यौगिकी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु एक ऐसे अफसर को निर्धारित करेगा जो वरिष्ठ हो और जिसे सूचना प्रौद्यौगिकी का पर्याप्त ज्ञान हो। उसका कार्य होगा कि वह जिलों को भेजे जा रहे डाटा की नियमितता ओर उनके सही होने पर नजर रखें। सूचना प्रौद्यौगिकी नोडल अधिकारी, जो एसआरआरडीए का भाग होगा, कि जिम्मेदारी यह भी होगी कि वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रख रखाव की साथ-साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े कर्मियों की कम्प्यूटर प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर भी नजर रखें।

16.5 मंत्रालय द्वारा गठित जिला संतर्कता ओर मॉनिटरिंग समिति, पीएमजीएसवाई की प्रगति को भी मानीटर करेगी ओर उस पर निगरानी रखेगी।

## 17.0 ग्रामीण सड़कों का रखरखाव

17.1 पीएमजीएसवाई गरीबी उपशमन कार्यनीति के भाग के रूप में राज्य क्षेत्र में एक विशाल केन्द्रीय निवेश है। तत्वतः सड़क संपर्कता के अंतिम उददेश्य में, इस निवेश के तत्वतः उपयोगी होने की संभावना है अगर मुख्य ग्रामीण सड़क नेटवर्क विशेषकर ग्रामीण कोर नेटवर्क को बेहतर स्थिति में रखा जाए अगर ग्रामीण उद्यमियों द्वारा कृषि और कृषितर दीर्घावधि निवेश का जोखिम उठाया जाता है तो खेत में बाजार तक की सड़क संपर्कता के संबंध में उचित रखरखाव अनिवार्य है। तदनुसार, ग्रामीण कोर नेटवर्क, विशेषकर थूरुटों के रखरखाव हेतु पर्याप्त वित्तपोषण महैया कराने और प्रणालीबद्ध रखरखाव सुनिश्चित करने लिये संस्थागत उपायों को लागू करना राज्य में पीएमजीएसवाई कार्यक्रम को चालू रखने का मुख्य आधार होगा। इस दिशा में राज्य सरकारें जिला पंचायतों में क्षमता निर्माण हेतु उपाय करेगी और इन पंचायतों को निधयां तथा कार्मिक सौपने का प्रयास करेगी ताकि वे पंचायतें ग्रामीण सड़कों की रख रखाव संविदाओं की देख-रेख कर सकें।

17.2 पीएमजीएसवाई की सभी सड़कों (पीएमजीएसवाई लिंक रूटों के सम्बद्ध मुख्य ग्रामीण सड़क/थूरुट सहित) के लिये मानक बोली दस्तावेज के अनुसार उसी ठेकेदार के साथ निर्माण संविदा के साथ 5 वर्षीय अनुरक्षण करार सम्पन्न किया जाएगा (पैरा 86 देखें)। संविदा कार्य के लिये रख रखाव एजेंसियां राज्य सरकार द्वारा दी जाएंगी तथा इसे एक अलग (अनुरक्षण खाते) में एसआरआरडीए को दे दिया जाएगा।

17.3 चूंकि ग्रामीण थू रुरल/ मुख्य ग्रामीण लिंकरूटों पर अपेक्षाकृत अधिक यातायात होता है और इन्हें बेहतर हालत में रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है थू रुटों को (चाहे पीएमजीएसवाई के

अंतर्गत उन्नयन किया गया है या पैरा 6.6.2 के अनुसार पीएमजीएसवाई लिंक रूट से संबंध थू रूट के रूप में अनुरक्षण संविदा के अधीन हो) निर्माण कार्य के पश्चात 5 वर्षों की अनुरक्षण अवधि के समाप्त होने पर (पैरा 8.6 तथा 17.2 देखें ) इसे चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 वर्षीय अनुरक्षण के जोनल अनुरक्षण संविदा के तहत रखा जाएगा। राज्य सरकार आवश्यक बजट प्रावधान करेगी तथा निधियों को जोनल अनुरक्षण संविदाओं के कार्य के लिये एसआरआरडीए अनुरक्षण खाते को देगी।

- 17.4 जबतक जिला पंचायतें रख—रखाव के कार्य को अपने हाथ में नहीं लेती है तब तक पीआईयूपीएमजीएसवाई सड़कों के संबंध में निर्माण पश्चात के प्रबंध और जोनल अनुरक्षण संविदाओं के प्रति उत्तरदायी बना रहेगा।
- 17.5 राज्य सरकारें ग्रामीण सड़कों के रख—रखाव के लिये वित्तपोषण के स्थायी स्रोतों को बनाने का प्रयास करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि एसआरआरडीए—
- (क) ग्रामीण सड़क कोर नेटवर्क के उचित रख—रखाव के लिये निधियों का वार्षिक आंकलन तैयार करे तथा उसे राज्य नोडल विभाग और एसआरआरडीए को भेजें।
- (ख) बजटीय अनुरक्षण निधियों के आंवंटन हेतु प्राथमिकता वाला मानदण्ड लागू करे इस मानदण्ड को यातायात / आबादी जैसी स्थितियों को वेटेज देते हुए पेवमेंट कंडीशन इंडेक्स पीसीआई के आधार पर एनआरआरडीए के परामर्श से तैयार किया जा सकता है।
- (ग) ग्रामीण सड़कों हेतु अनुरक्षण वित्त पोषण प्राप्त करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ संपर्क बनाये ताकि प्राथमिकता मानदण्ड का समन्वित अनुप्रयोग सुनिश्चित हो।
- 17.6 ग्रामीण सड़क सुरक्षा:- चूंकि आमतौर पर ग्रामीण सड़कों पर काफी कम यातायात होता है और इस समय दुर्घटना दर काफी कम है इसलिये सुरक्षा संबंधी मुद्दे प्रमुखता डिजाईन तथा निर्माण विशेषता और स्थानीय निवासियों की सड़क सुरक्षा के प्रति सचेतता से सबंधित होते हैं। केन्द्रीय स्तर पर इन मुद्दों का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सड़क सुरक्षा मिशन के समन्वय के माध्यम से समाधान किया जाएगा। राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता समन्वयक तथा जिला स्तर पर डीपीआईयू के अध्यक्ष को राज्य सरकारों द्वारा राज्य सरकार के सड़क सुरक्षा तंत्रों और कार्यक्रमों के साथ, विशेषतया क्रमशः राज्य सड़क सुरक्षा परिषद तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 की अधिनियम संख्या 59) के खण्ड 215 के सृजित जिला सड़क सुरक्षा समितियों की सदस्यता के जरिए समन्वय करने का कार्य सौंपा जाएगा।

17.7 ग्रामीण सड़क विकास और रख—रखाव कार्यक्रमों के भाग के रूप में राज्य सरकार गुणवत्ता निगरानी के साथ पीएमजीएसवाई कार्यों की सड़क सुरक्षा लेखा—परीक्षा सुनिश्चित करेगी। यह सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं की पर्याप्त भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी। पुस्तिकाओं के प्रकाशन, दृष्टि—श्रव्य, परस्पर संपर्क कार्यक्रमों सहित जागरूकता बढ़ाने वाले किया—कलापों को सड़क प्रस्तावों के साथ अधिकार संपन्न समिति की स्वीकृति के लिये भेजे जाने वाले वार्षिक प्रस्तावों के आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा।

## निधियों का प्रवाह, उन्हें जारी करने की प्रक्रिया और लेखा परीक्षा

### 18.0 निधियों का प्रवाह

- 18.1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खाते, प्रशासनिक खाते और अनुरक्षण खाते के अनुरक्षण के लिये एसआरआरडीए राज्य मुख्यालय में इंटरनेट संपर्कर्ता वाले किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अथवा संस्था आधारित बैंक की शाखा का चयन करेगा। शाखा चुने जाने के पश्चात एसआरआरडीए की सहमति के बिना खाते को किसी भी अन्य शाखा अथवा बैंक में बदला नहीं जायेगा। बैंक से एक लिखित वचन लिया जाएगा कि वह पीएमजीएसवाई निधियों में से भुगतान भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप करेगा। संबंधित शाखा इंटरनेट संपर्कर्ता बनाए रखेगी और ऑन-लाईन मैनेजमेंट और मानीटरिंग प्रणाली के उपयुक्त माड्यूल में डाटा डालेगा।
- 18.2 एसआरआरडीए, एनआरआरडीए तथा मंत्रालय को बैंक शाखा के विवरण और खाता संख्या के संबंध में सूचना देगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खाते में कमशः कार्यक्रम निधियों और प्रशासनिक एवं यात्रा खर्चों तथा गुणवत्ता नियंत्रण निधियों को रिलीज करेगी।
- 18.3 राज्य सरकार एसआरआरडीए के उचित कामकाज के लिये प्रशासनिक खाते में निधियां जमा करेगी। पीएमजीएसवाई सड़कों की अनुरक्षण संविदाओं की व्यवस्था करने के लिये एसआरआरडीए के अनुरक्षण खाते में निधियां जमा की जाएंगी। राज्य सरकार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा वित्तपोषण के उनुपयुक्त खर्चों से संबंधित कार्यों को करने और मूल्य वृद्धि संविदा प्रीमियम तथा ऐसे अन्य कार्यक्रम खर्चों की पूर्ति करने जो राज्य सरकार का दायित्व है, के लिये निधियों कार्यक्रम खाते में जमा करेगी।
- 18.4 कार्यक्रम, प्रशासनिक और अनुरक्षण (रख-रखव) खर्च का विनियम निम्नानुसार होगा:-
- i. जैसा कि उपयुक्त पैरा 12.1 में बताया गया है, पीआईयू के कार्यकारी अभियंता/पीआईयू के मुखिया (जो पीआईयू के आहरण और वितरण अधिकारी है) को एसआरआरडीए का पदेन सदस्य/ अधिकारी घोषित किया जाएगा ताकि ये कार्यक्रम के तीनों खातों में से एसआरआरडीए की निधियां निकाल सकें। वे चैक जारी करने के लिये प्राधिकृत हस्ताक्षरी होंगे। पीआईयू अलग से बैंक खाता नहीं खोलेगी।
  - ii. एसआरआरडीए अपने वरिष्ठ अधिकारियों में से एक को, जो सामान्यतः मुख्य अभियंता के पद हो अधिकार प्राप्त अधिकारी के रूप में नामित करेगी। अधिकार प्राप्त अधिकारी को ही हक होगा कि वह बैंकों को प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के नाम सूचित करें, जो एजेंसी के बैंक खातों पर चैक जारी कर सकेंगे।

- iii. अधिकार प्राप्त अधिकारी प्राधिकृत हस्ताक्षरियों की (जिलों की कार्यकारी अभियंता / पीआईयू के मुखिया) सूची बैंकों को देंगे और समय समय पर इस सूची का सत्यापन करेंगे ताकि उसका सही होना सुनिश्चित हो सके और बैंक को परिवर्तन की जानकारी दी जा सके। बैंक प्राधिकृत हस्ताक्षरियों को अलग अलग चैक बुक जारी करेगा और उनके हस्ताक्षरों का भी रिकार्ड रखेगा।
- iv. अधिकार-प्राप्त अधिकारी बैंकों को प्राधिकृत आदाताओं (ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं, जिनके साथ समझौता किया गया है और साविधिक अधिकारी जैसे कि आयकर अधिकारी) के नाम और उनके निर्धारित आदाता, खातों और प्रत्येक खातों के बारे में प्रत्येक ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता को देय राशि के बारे में जानकारी देंगे। यह कार्य समझौतों के अनुरूप होगा। अधिकार-प्राप्त अधिकारी संबंधित पैकेजों के लिये सहमत कार्यक्रम के अनुरूप मासिक / तिमाही भुगतान पर उपयुक्त सीमा निर्धारित कर सकते हैं। इस संबंध में अधिकार-प्राप्त अधिकारी बैंक शाखाओं को स्थायी निर्देश जारी करेंगे।
- v. प्राधिकृत हस्ताक्षरी निर्धारित आदाता के खातों का उल्लेख करते हुए, एकाउन्ट पेयी चैक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान करेंगे। वे तुरंत ओएमएमएस के पेमेंट मोड्यूल में चैक और आदाता का विवरण डाल देंगे।
- vi. चैक के मिलने पर, बैंक अपनी संतुष्टि करेगा कि पेमेंट माड्यूल में भुगतान के सारे विवरण दे दिये गये हैं और इस बात की भी संतुष्टि करेगा, कि चैक सभी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है जिसमें नमूना हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर का मेल खाना, चैक की राशि प्राधिकृत शेष राशि के भीतर होना आदाता का प्राधिकृत होना और आदाता के खाते का सरा विवरण पूर्ण होना और ठीक तरह से दिया जाना शामिल है।
- vii. बैंक यह अनुमति नहीं देगा कि प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के अलासा अन्य कोई व्यक्ति निधियों का उपयोग करे और न ही इस बात की कि ये निधियां पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत शुरू किए गये कार्यों के प्राधिकृत भुगतान के अलावा अन्य किसी प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जाए। राज्य स्तरीय एजेंसी का भी छूट नहीं होगी कि वह इन निधियों को किसी अन्य बैंक / शाखा में चाहे कम अथवा मध्यम समय-सीमा सावधिक जमा सहित के लिये ही क्यों न हो निवेश करें।
- viii. बैंक पीएमजीएसवाई निधियों के संबंध में पीआईयू और राज्य स्तरीय एजेंसी को और अनुरोध मिलने पर राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी को भी मासिक लेखे भेजेगा।

- 18.5 बैंक, एसआरआरडीए और एनआरआरडीए के बीच एक त्रि-स्तरीय समझौता-ज्ञापन संपन्न किया जाएगा जिसमें तीनों पक्ष दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का पालन करने पर सहमत होंगे। बैंक विशेष रूप से खातों के संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय/ राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों का पालन करने पर अपनी सहमति देगा।
- 18.6 एनआरआरडीए निधियों के सुचारू प्रवाह और कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु समय समय पर आवश्यक निवेश जारी कर सकती है।
- 18.7 एनआरआरडीए द्वारा निर्धारित की जाने वाली लेखा प्रणाली सुस्थापित लोक निर्माण कार्य लेखा पर आधारित होगी जिसका अपना खातों के उनके अपने चार्ट तथा तुलन पत्र होगा। आनलाईन मैनेजमेंट तथा मानीटरिंग सिस्टम (ओएमएसएस) साफ्टवेयर लेखा प्रणाली के लिये सहायक होगा और इन्हें सक्षम बनाएगा ताकि परियोजना कार्यान्वयन इकाईयां (पीआईयू) राज्य ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसियां (एसआरआरडीए) और संबंधित बैंक शाखा अपने अपने लेन देन के आंकडे आनलाईन प्रविष्ट कर सकें।
- 18.8 कार्यक्रम खाते में जो पैसा ब्याज के रूप में मिलता है उसे सी खाते में जमा किया जाएगा। ब्याज की इस राशि से व्यय ग्रामीण विकास मंत्रालय/ एनआरआरडीए द्वारा समय समय पर जारी किये गये अनुदेशों/ मार्ग-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। बैंक राज्य स्तरीय एजेंसी को उसके द्वारा तिमाही आधार पर इस खाते में जमा की गई ब्याज की राशि की जानकारी देगा।
- 19.1 पीएसजीएसवाई ने उन सङ्कों के मामले में जहां कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाना होता है, परियोजना दृष्टिकोण अपनाया है। एनआरआरडी को स्वीकृत परियोजनाओं की निधियां दो किस्तों में उपलब्ध कराई जाएंगी। परियोजना के स्वीकृत मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर की पहली किस्त (या वार्षिक आवंटन जो भी कम हो) ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, जिन्हें पहले निर्धारित किया गया हो, को पूरा करने के बाद रिलीज की जाएगी।
- 19.2 चूंकि संविदात्मक कार्यों की ही लागत का भुगतान करना होता है, इसलिये इसी के आधार पर दूसरी किस्त का परिकलन किया जाएगा तथा यह सौंपे गये कार्यों की लागत पर बकाया शेष राशि के बराबर होगी। उपलब्ध निधियों का 60 प्रतिशत उपयोग कर लेने तथा पिछले वर्ष से पहले वर्ष में सौंपे गए सङ्क कार्यों का कम से कम 80 प्रतिशत कार्य और उस वर्ष से पहले के सभी वर्षों में सौंपे गये शत प्रतिशत कार्य पूरा कर लेने तथा पिछली किस्त रिलीज करते समय यदि कोई शर्त निर्धारित की गई हो, को पूरा करने के बाद ही निधियां रिलीज की जाएंगी। स्वीकृत कार्यों, जिन्हें

दूसरी किस्त तक सौंपा न गया हो, को व्यापगत माना जाएगा। उपलब्ध निधियों में वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को एसआरआरडी के पास उपलब्ध निधियां (प्राप्त ब्याज सहित) और उसके साथ यदि वित्तीय वर्ष के दौरान कोई किस्त रिलीज की गई है तो वह राशि भी शामिल होगी।

19.3 वर्ष में दूसरी किस्त की रिलीज निमनलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर की जाएगी:-

- (क) निर्धारित प्रपत्रों में पहले वर्षवार रिलीज की गई राशि का उपयोग प्रमाण पत्र।
- (ख) बैंक मैनेजर का प्रमाण पत्र जिसमें प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक बकाया राशि तथा जमा ब्याज का उल्लेख हो।
- (ग) अपेक्षित कार्यों के वास्तविक रूप से पूरा होने का प्रमाण पत्र।
- (घ) प्रत्येक वर्ष अकट्टबर के बाद की सभी रिलीज के लिये पिछले वित्तीय वर्ष के लेखों के लिये लेखा परीक्षित, लेखे और तुलन पत्र और संबंधित विवरण प्रस्तुत करना, जिन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने विधिवत सत्यापित किया हो।
- (ङ.) ओएमएमएस के संगत माड्यूल के आंकड़े, जिन्हें एसआरआरडीए ने सही होने के रूप में विधिवत प्रमाणित दिया हो।

19.4 निधियां रिलीज करने के प्रयोजनार्थ राज्य इकाई होगा।

20.0 लेखा-परीक्षा

20.1 एनआरआरडीए यह सुनिश्चित करेगी कि लेखों की लेखा-परीक्षा वित्तीय वर्ष बंद होने के छः माह के भीतर सीएजी द्वारा अनुमोदित पेनल में से चुने गये किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट से कराई जाती है। इस लेखे के समर्थन में पीआईयू के लेखों के साथ मिलान-विवरण और इसकी सत्यता के बारे में चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

20.2 चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा-लेखा परीक्षा के अलावा इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों के भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के कार्यालय द्वारा भी लेखा परीक्षा की जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा कार्य में वित्तीय लेखापरीक्षा के अतिरिक्त गुणवत्ता पहलुओं को भी लिया जा सकता है।

20.3 स्टेट राज्य एजेंसी और पीआईयू दोनों जिला स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समितियों और पंचायती राज्य संस्थाओं को सभी संगत जानकारी उपलब्ध करायेगें।

## 21.0 विविध

- 21.1 राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, राज्य स्तर एजेंसी के साथ मिलकर, पीआईयू कार्मिकों तथा ठेकेदारों के अभियन्ताओं के लिये उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकती है।
- 21.2 सड़कों के दोनों ओर फलदार और अन्य उपयुक्त पेड़ों के लगाने का काम राज्य सरकारों/पंचायतों द्वारा अपने कोष से किया जाएगा।
- 21.3 ग्रामीण विकास मंत्रालय समय समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो कार्यक्रम के अवधि क्रियान्वयन के लिये आवश्यक हो।

## 22.0 परिवर्तन

- 22.1 ग्रामीण संपर्कता अपने आप में पूरी नहीं है। यह एक साधन है। इस बात की आशा की जाती है कि संपर्कता से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आय आदि के सूचकांकों में सुधार होगा बशर्ते अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में और स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के परामर्श से इन क्षेत्रों में अन्य चल रहे कार्यक्रमों के साथ मेल किया जा सके। यह आशा की जाती है कि इन मुद्दों पर जिला पंचायत ध्यान देगी। ग्रामीण सड़क कार्य शुरू होने से पहले बैच मार्क विकास संकेतक तय किए जा सकते हैं और इन्हें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जा सकता है।
- 22.2 जिला स्तर पर ग्रामीण सड़कों के प्रभाव के स्वतंत्र अध्ययन हेतु समय समय पर एनआरआरडीए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करेंगे।